डाक पंजीयन क्रमांक-म.प्र./भोपाल/357/2015-17 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

● वर्ष 61 ● अंक 14 ● भोपाल ● 16-31 दिसम्बर, 2017 ● पृष्ठ 16 ● एक प्रति 7 रु. ● वार्षिक शुल्क 150/- ● आजीवन शुल्क 1500/-

किसानों को हर संभव मदद और हर संकट में सरकार साथ

बदरवास में किसान महा-सम्मेलन में मुख्यमंत्री श्री चौहान

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार किसानों के साथ है और उन्हें हरसंभव मदद देगी। उन्होंने शिवपुरी जिले के सूखाग्रस्त क्षेत्र में सूखे से निपटने के लिये किसानों को राहत राशि देने के लिए भी कहा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान शिवपुरी जिले के बदरवास में किसान सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि गरीब एवं मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मनरेगा के तहत विशेष पैकेज दिया जाएगा। किसानों को दिलासा दिलाते हुए उन्होंने कहा कि सूखे से निपटने में सरकार हमेशा किसानों के साथ है। श्री चौहान ने कहा कि सूखाग्रस्त क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर जलने पर तत्काल बदलने की कार्यवाही की जाएगी। जहां भू-जल स्तर ठीक है, वहां पर ट्यूबवेल एवं हेण्डपंप स्थापित किये जाएंगे। जिन किसानों की समाधान योजना के ऋण की ब्याज राशि मूलधन से अधिक हो गई है, उनकी ऋण की ब्याज राशि माफ की जाएगी। साथ ही मूलधन की राशि भी 8से 10 किश्तों में भुगतान करने की छूट दी जाएगी।

श्री चौहान ने इस अवसर पर भावांतर भुगतान योजना के तहत शिवपुरी जिले के 14 हजार 102 किसानों को लगभग 31 करोड़ 34 लाख की भावांतर राशि के स्वीकृति-पत्र दिए। साथ ही विभिन्न जन-कल्याणकारी एवं हितग्राही मूलक योजना के 32 हजार 128हितग्राहियों को 1 अरब 34 करोड़ 27 लाख के हित-लाभ प्रदान किए।

घोषणाएँ

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने शैक्षणिक सत्र 2018-19 से बदरवास में कला-संकाय का नवीन शासकीय महाविद्यालय खोलने, आईटीआई में भवन निर्माण कराने तथा कोलारस अनुभाग की सिंहधन, रायखेड़ा, धामनटुक, पाली, राजगढ़, सेसई, गिरोय, बिजरौनी, बरौदिया में लघु सिंचाई योजना का सर्वे कराकर उनका निर्माण कराने की घोषणा की।

18 हजार किसानों को मिली 88करोड़ फसल बीमा राशि

श्री चौहान ने बताया कि फसल बीमा योजना के तहत कोलारस में 18हजार किसानों को 88करोड़ की राशि वितरित की गई है। किसानों से समर्थन मूल्य पर 8 रूपए प्याज की खरीदी कर 650 करोड़ रूपए की राशि किसानों के खाते में जमा करा दी गई है। उन्होंने बताया कि भावांतर भुगतान योजना के तहत किसानों के बैंक खातों में उनकी फसल की भावांतर राशि जमा करवा दी गई है। मुख्यमंत्री ने किसानों को आश्वस्त किया कि किसी भी परिस्थिति में समर्थन मूल्य से कम मूल्य पर फसल का विक्रय नहीं होने दिया जाएगा।

किसानों को घर पर ही मिलेगी बी-1 एवं खसरें की नकलें

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अविवादित नामांतरण एवं बंटवारे का प्रकरण सामने आने पर संबंधित राजस्व अधिकारी से जुर्माने की वसूली का प्रावधान किया गया है।

(शेष पृष्ठ 14 पर)

वित्तीय पत्रक का प्रकाशन

इस अंक में निम्न बैंकों के वित्तीय पत्रक प्रकाशित किये जा रहे हैं।

1. मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल
2. जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, शहडोली

सहकारिता आयुक्त श्रीमती रेणु पंत द्वारा सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र का अवलोकन

इंदौर। सहकारिता आयुक्त एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें म.प्र. श्रीमती रेणु पंत ने 29 नवम्बर को सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र किला मैदान इंदौर का निरीक्षण किया तथा सहकारिता में उच्चतर पत्रोपाधि पाठ्यक्रम कर रहे सहकारिता विभाग के प्रशिक्षणार्थियों (सहकारी निरीक्षकों) को संबोधित किया।

इस दौरान उन्होंने कहा कि सहकारिता की मूल भावना अनुरूप केन्द्र में गहन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने अपेक्षा की कि सहकारिता आर्थिक सुदृढ़ता का आधार है, इसमें किसी का हस्तक्षेप ना हो तथा जनतांत्रिक तरीके से ईमानदारी व भाईचारे के साथ सहकारिता के जरिये सामाजिक सरोकार निभाये व हम सबका कर्तव्य है समाज में अंतिम पंक्ति के व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करे।

प्रारम्भ में स्वागत श्री राठौर एवं श्री पाटनकर द्वारा किया गया। प्राचार्य श्री के.एल. राठौर ने केन्द्र में संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जानकारी दी। उपायुक्त सहकारिता इंदौर श्री के. पाटनकर ने जिला सहकारी संघ की जानकारी से अवगत कराया। कार्यक्रम का संचालन व आभार व्याख्याता श्री निरंजन कुमार कसारा ने व्यक्त किया। इस अवसर पर केन्द्र के व्याख्याता श्री जी.पी. मांझी, प्रशिक्षक श्री कालका प्रसाद श्रीवास्तव, श्री हरनाम सिंह उपस्थित रहे।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना : राज्य सहकारी संघ द्वारा प्रशिक्षण

सहकारिता में कौशल उन्नयन प्रशिक्षण

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना अंतर्गत प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के विक्रेताओं हेतु तीन-तीन दिवसीय प्रशिक्षण 4 सितम्बर 2017 से प्रारंभ किये गये हैं। सहकारी क्षेत्र में देश में यह प्रथम प्रयास है। यह प्रशिक्षण सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल, इंदौर, जबलपुर में संचालित हो रहे हैं। प्रशिक्षणों की चित्रमय झलकियाँ।

सत्र क्र. 13 भोपाल

सत्र क्र. 14 भोपाल

सत्र क्र. 15 भोपाल

सत्र क्र. 13 इंदौर

सत्र क्र. 14 इंदौर

सत्र क्र. 15 इंदौर

सत्र क्र. 14 जबलपुर

सत्र क्र. 15 जबलपुर

कुशल सहकारिता : सफल सहकारिता

सहकारिता राज्य मंत्री श्री सारंग ने किसानों को दिए क्रेडिट कार्ड

भोपाल। सहकारिता, भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग ने शिवपुरी जिले के बारौद, मेघौनाबड़ा, बरोदिया, बिजरोनी आदि ग्रामों में हितग्राही सम्मेलन में 50 से अधिक किसानों को क्रेडिट कार्ड प्रदान किये। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 20 हितग्राहियों को आवासों के स्वीकृति-पत्र प्रदान किये।

श्री सारंग ने हितग्राही सम्मेलनों में ग्रामीणों को राज्य एवं केन्द्र सरकार की हितग्राही मूलक एवं जनहितैषी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों को निर्देश दिए कि उपभोक्ताओं की विद्युत संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए शिविर लगायें। राज्य मंत्री ने कहा कि भावांतर भुगतान योजना किसानों के हित में बनाई गई है। राज्य सरकार भावांतर राशि किसानों के खातों में दे रही है।

राज्य मंत्री श्री सारंग ने जनपद पंचायत के सीईओ को निर्देश दिए कि ग्रामीणों की समस्याओं के निराकरण के साथ-साथ गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले वाले पात्र व्यक्तियों के नाम जोड़ने एवं अपात्र लोगों के नाम काटने की कार्यवाही के लिए ग्रामों में शिविर लगायें। उन्होंने इस दौरान ग्राम बारौद में दो हैण्डपंप खनन करवाने और ग्राम मेघौनाबड़ा में तालाब का निर्माण शुरू करवाने के भी निर्देश दिए।

सहकारी समितियों के उत्थान हेतु प्रशिक्षण आवश्यक

एकीकृत सहकारी विकास परियोजना मण्डला एवं सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र जबलपुर का संयुक्त आयोजन

जबलपुर। एकीकृत सहकारी विकास परियोजना मण्डला एवं सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र जबलपुर के संयुक्त तत्वावधान में मछली पालन सहकारी समितियों के संचालकों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण गत दिवस सम्पन्न हुआ। प्रशिक्षण शिविर के कार्यक्रम में प्रभारी सहायक पंजीयक श्री एस.सी. दहायत ने कहा आज सहकारी आन्दोलन में मत्स्य सहकारी समितियां भी आर्थिक रूप से कमजोर हैं और उनके विकास के लिये जरूरी है कि इन समितियों के संचालकों को सहकारी अधिनियम और उपनियमों की व्यापक जानकारी होना चाहिए और प्रशिक्षण इसके लिये एक सशक्त माध्यम है।

कार्यक्रम में केन्द्र के प्राचार्य श्री यशोवर्धन पाठक ने कहा कि मत्स्य सहकारिता के विकास के लिये इन समितियों का समाधान आवश्यक है। सशक्त नेतृत्व और कुशल प्रबंधन से मत्स्य समितियों का विकास संभव है। प्रशिक्षण के दौरान सत्र समन्वयक श्री व्ही.के. बर्वे ने समिति का गठन कार्यप्रणाली संचालकों के अधिकार व कर्तव्य और लेखाकर्म की जानकारी दी। व्याख्याता श्री एस.के. चतुर्वेदी ने अधिनियमों व उपनियमों पर सार्थक प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रदान किया। इसी के साथ जिला सहकारी शिक्षा प्रशिक्षक श्री एस.के. गौतम ने मत्स्य सहकारिता की पृष्ठभूमि और आवश्यकताओं पर प्रकाश डाला।

ध्वजारोहण व गोष्ठी संपन्न

जबलपुर। 64 वें अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह के अवसर पर सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र जबलपुर में केन्द्र के प्राचार्य श्री यशोवर्धन पाठक ने सहकारी ध्वज फहराया एवं सहकारी गीत गायन किया। ध्वजारोहण के पश्चात केन्द्र में सहकारी सुशासन और व्यवसायीकरण विषय को लेकर प्रभावी गोष्ठी का आयोजन किया गया। प्राचार्य श्री यशोवर्धन पाठक ने कहा कि सहकारिता के विकास हेतु सामाजिक और सहकारी स्तर पर सुशासन आवश्यक है। व्याख्याता श्री शशिकांत चतुर्वेदी ने आर्थिक स्तर पर सहकारी सशक्तिकरण की दिशा में व्यवसायिकरण पर जोर देने की आवश्यकता बताई। जिला सहकारी शिक्षा प्रशिक्षक श्री एस. के गौतम एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षक श्री सुनील कुमार ने सहकारी सप्ताह की उपयोगिता और महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के अंत में आभार प्रदर्शन व्याख्याता श्री व्ही.के. बर्वे द्वारा किया गया। कार्यक्रम में एच.डी. सी.एम. के एवं प्रधानमंत्री कौशल विकास प्रशिक्षण के सभी प्रशिक्षार्थी मौजूद थे।

सहकारी सप्ताह का शुभारंभ

सागर। अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह का शुभारंभ जिला सहकारी संघ मर्यादित, सागर के साबूलाल मार्केट स्थित कार्यालय में सहकारिता का सात रंग का ध्वज फहराकर संघ के अध्यक्ष श्री किशोर नामदेव एवं सहकारिता विभाग के उपायुक्त श्री पी.आर. कावड़कर के द्वारा ध्वजारोहण किया गया। कार्यक्रम में सहकारिता विभाग के सी.ई.ओ. श्री एच.के. मिश्रा जी श्री रजनीश नायक जी, संघ के उपाध्यक्ष श्री प्रेमनारायण दुबे, किसान सहकारी शीत गृह के प्रबंधक श्री प्रभात तिवारी सहकारी बंधु श्री नरेश नामदेव श्री सिंघई एवं अन्य उपस्थित रहे। आभार व्यक्त जिला सहकारी संघ के प्रबंधक श्री के.के. दुबे द्वारा किया गया।

एच.डी.सी.एम. सत्र सफलता पूर्वक सम्पन्न

जबलपुर। म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्या. भोपाल से सम्बद्ध सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र जबलपुर में सहकारिता विभाग के सहकारी निरीक्षकों/अंकेक्षकों/सहकरिता विस्तार अधिकारियों के लिए आयोजित 17 जुलाई 2017 से 05 दिसम्बर 2017 तक 20 सप्ताह का एच.डी.सी.एम. प्रशिक्षण सत्र का दीक्षान्त समारोह का आयोजन श्री पी. एस. तिवारी संयुक्त पंजीयक एंव संयुक्त आयुक्त सहकारिता के मुख्य आतिथ्य में किया गया। सत्र समन्वयक श्री एस.के. चतुर्वेदी ने प्रशिक्षण सत्र, की गतिविधियों का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। प्राचार्य श्री यशोवर्धन पाठक ने स्वागत भाषण दिया।

मुख्य अतिथि द्वारा संबोधन में कहा गया कि प्रशिक्षार्थी सहकारिता विभाग के कार्यपालिक अधिकारी हैं जिन्हें शासकीय सेवा के साथ साथ सहकारिता के माध्यम से समाज सेवा के विविध अवसर हैं। प्रशिक्षण में लेखा एवं विधान के विषय सहकारिता व्यवहार में अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। समिति के पंजीयन में संगठक, निर्वाचन में निर्वाचन अधिकारी अंकेक्षण में अंकेक्षक तथा निरीक्षण, जांच में निरीक्षक जैसे दायित्वों का निर्वाचन पूर्ण योग्यता-दक्षता-निष्ठा के साथ करना है, जिससे विभागीय गरिमा के साथ-साथ संस्थागत समन्वय बेहतर बना रहे और व्यक्तिगत छबि उज्वल सिद्ध हो। व्याख्याता श्री व्ही.के. बर्वे द्वारा प्रदेश के बाहर अध्ययन भ्रमण की विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। जिला सहकारी शिक्षा प्रशिक्षक श्री एस.के. गौतम ने आभार प्रदर्शन किया।

किसानों की आय दोगुनी करने के लिये किये जा रहे ठोस प्रयास

राष्ट्रीय कृषि व्यापार सम्मेलन में किसान कल्याण मंत्री श्री बिसेन

भोपाल। किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन ने कहा है कि प्रधानमंत्री के संकल्प वर्ष 2022 के अंतर्गत मध्यप्रदेश में किसानों की आय दोगुनी करने के लिये ठोस प्रयास किये जा रहे हैं। इसी सिलसिले में राज्य सरकार ने किसानों के हित में अनेक महत्वपूर्ण फैसले लिये हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शुरू की गई भावांतर भुगतान योजना में किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलवाया गया है। किसान कल्याण मंत्री श्री बिसेन भोपाल में राष्ट्रीय कृषि व्यापार सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। कृषि व्यापार सम्मेलन का आयोजन एशियन फार्मर्स प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड और किसान कल्याण विभाग, उद्यानिकी, नाबार्ड, आईएसईडी और आईटीएससी ने मिलकर किया है।

किसान कल्याण मंत्री श्री बिसेन ने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों के लिये शुरू की गई भावांतर भुगतान योजना में 4 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कृषि उत्पादन में क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पर ध्यान दिये जाने की जरूरत है। कृषि मंत्री ने कहा कि गेहूँ के उत्पादन में मध्यप्रदेश ने पंजाब और हरियाणा प्रदेश को पीछे छोड़ दिया है। श्री बिसेन ने कहा कि राज्य सरकार ने खाद्य प्र-संस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये 10 लाख से 2 करोड़ रुपये तक अनुदान देने का निर्णय लिया है। कृषि मंत्री ने रासायनिक उर्वरकों के कृषि भूमि के साथ-साथ मानव जीवन पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव की चर्चा करते हुए कहा कि किसानों को अब जैविक खेती की ओर बढ़ना चाहिए। राज्य सरकार जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिये किसानों को हरसंभव मदद देगी। कृषि मंत्री ने कहा कि किसान खेती में आधुनिक तकनीक का अधिक से अधिक इस्तेमाल कर सकें, इसके लिये निजी कम्पनियों के साथ मिलकर युवाओं को ट्रेक्टर सुधार का प्रशिक्षण भी दिलवाया गया है।

सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग ने कहा कि गाँव से पलायन को रोकने के लिये कृषि अर्थ-व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सहकारिता के माध्यम से समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति तक मदद पहुँचाने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं। किसानों को जीरो प्रतिशत पर कृषि ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। अब प्रदेश में किसानों को कृषि ऋण की केवल 90 प्रतिशत राशि ही वापस करनी होती है। उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की खासियत के बारे में भी बताया। कार्यक्रम में एशियन फार्मर्स प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड के अध्यक्ष श्री द्वारका सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय सम्मेलन में देशभर के कृषि वैज्ञानिक, प्रगतिशील किसान भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में बेगमगंज की प्रगतिशील महिला किसान श्रीमती राधाबाई दुबे को भी सम्मानित किया गया। इन्हें जैविक खेती के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने के लिये पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने सम्मानित किया था।

फसलों के भाव में उतार-चढ़ाव की चिन्ता से मुक्त हुए किसान

भोपाल। नीमच जिले के किसानों ने भावांतर भुगतान योजना की खुले मन से प्रशंसा की और इसे किसानों के हित में अब तक का सबसे अधिक महत्वपूर्ण फैसला बताया है। नीमच जिले की मनासा तहसील के ग्राम सेमली आंत्री के किसान भोपाल सिंह पिता मोहन सिहं राजपूत ने भावान्तर भुगतान योजना को खेती को लाभ का धन्धा बनाने की दिशा में कारगर कदम बताया है। श्री भोपाल सिंह कहते है कि इस योजना से सरकार ने खेती को घाटे से उबार दिया है, वर्ना हमें अगली फसल लेने में काफी परेशानी उठाना पड़ती।

किसान भोपाल सिंह राजपूत ने मनासा मण्डी में 70 क्विंटल सोयाबीन बेची थी, जिसकी कीमत व्यापारी से तो उन्हे उसी दिन नगद मिल गई। भावांतर भुगतान योजना में भावांतर की राशि 33 हजार 993 रूपये 8दिसम्बर 2017 को उसके खाते में जमा मिली है।

नीमच तहसील के ग्राम चम्पी की नानी बाई पति भवानी राम कुमावत भावांतर भुगतान योजना को फसल का उचित दाम मिलने की गारंटी मानती है। उन्हें 20 क्विंटल उड़द नीमच मण्डी में बेचने पर 36 हजार 18 रूपये की भावांतर राशि सीधे बैंक खाते में जमा होने पर बिचौलियों से निजात मिली है। नीमच जिले के किसान इन्द्राबाई पाटीदार को 30 हजार 475 रूपये, गोविंदराम गुर्जर को 37 हजार 200 रूपये, शोभालाल धाकड को 49 हजार 577 रूपये, मदनलाल नागदा को 44 हजार 767 रूपये, मोहम्मद जमील खॉन को 31 हजार 136 रूपये, भेरू सिंह को 31 हजार 116 रूपये, रतनलाल को 30 हजार 364 रूपये, शिव प्रसाद को 32 हजार 491 रूपये, उदयराम धनगर को 35 हजार 36 रूपये एवं राधेश्याम धाकड को 36हजार 620 रूपये भावांतर राशि का भुगतान मिला है।

अब किसान भाई फसलों के भाव में उतार-चढाव की चिंता से मुक्त हो गए हैं। सरकार ने भावांतर भुगतान योजना से किसानों को फसल की लाभकारी कीमत दिलाने की गारंटी प्रदान की है। नीमच जिले में 3 हजार 134 किसानों को अब तक 2 करोड़ 4 लाख 936 रूपये की भावांतर राशि का भुगतान उनके खाते में किया गया है।

पंचायत चुनाव में ऑनलाइन फार्म भरने की सुविधा

भोपाल। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत आम एवं उप निर्वाचन-2017 से जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य और सरपंच पद के अभ्यर्थियों को परम्परागत तरीके के साथ ही OLIN एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाइन नाम निर्देशन-पत्र भरने की सुविधा दी गई है।

कपड़ों का अस्पताल खोलकर सफल उद्यमी बने अबीर
ड्रायक्लीन की दुकान पर 10 लोगों को मिल रहा रोजगार

भोपाल। प्रदेश में राज्य सरकार युवाओं को स्वयं का रोजगार शुरू करने के लिए लगातार प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए स्व-रोजगार से जुड़ी अनेक योजनाएँ भी शुरू की गई हैं। सतना में एक शिक्षित युवक ने अपनी जमी-जमाई नौकरी छोड़कर स्वयं का रोजगार शुरू किया है। युवा अबीर द्विवेदी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना से प्रभावित हुए थे और उन्होंने इस योजना का लाभ लिया है। अबीर द्विवेदी प्रतिष्ठित सीमेंट कम्पनी में सीनियर ऑफिसर के पद पर कार्य कर रहे थे। उनके मन में विचार आया कि वे अपने शहर में स्वयं का रोजगार शुरू करें। उन्होंने सतना की ज्योति कॉलोनी में कपड़ों का अस्पताल नामक ऑटोमेटिक मॉडर्न लाण्ड्री की शुरूआत की। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में इलाहाबाद बैंक से 20 लाख रुपये का ऋण लिया। ऋण राशि से उन्होंने ड्रायर ट्रंबलर, हाइड्रो स्ट्रक्चर ड्राईक्लीनिंग मशीन अपनी इकाई में लगाई। इसके लिये उन्हें योजना में अनुदान की राशि भी मिली। अबीर द्वारा लगाई गई ड्राईक्लीनर्स यूनिट चल निकली है। उन्हें शहर के होटलों के अलावा शहरवासियों से भी काम मिल रहा है। उनकी इस यूनिट में 10 व्यक्ति काम कर रहे हैं। अबीर मासिक भवन किराया, बिजली, कच्चा माल और मशीनों के रख-रखाव का खर्च काटकर बैंक की मासिक किश्त भी नियमित जमा कर रहे हैं। उन्हें भी सब खर्च काटकर वाजिब मासिक आय हो रही है।

आज अबीर द्विवेदी की शहर में सफल युवा उद्यमी के रूप में पहचान बनी है। वे दूसरे युवाओं के लिए भी प्रेरणा-स्त्रोत बन गये हैं।

अनुसूची–III प्रपत्र 'अ'

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल

31 मार्च, 2017 का स्थिति विवरण

गत वर्ष 2016 31 मार्च 2016		देयतायें		चालू वर्ष 2017 राशि रुपयों में
10000000000.00	1	अंशपूंजी		10000000000.00
		अधिकृत अंशपूंजी		
		1. 10,00,00,000 अंश प्रत्येक 100/–		
		उपविधि क. 4(क) अनुसार		
		2. अंश प्रत्येक 500/–		
		उपविधि क. 4(ख) अनुसार		
		3. असीमित अंश प्रत्येक 10/–		
		एवं अंश प्रत्येक 100/–		
		उपविधि क. 4(ग) अनुसार		
5158119610.00		II) अभिदत्त एवं प्रदत्त अंशपूंजी		5659164610.00
		56576167 अंश प्रति अंश 100/–		
		नाममात्र अंश प्रत्येक 10/– से 1000/–		
		उपरोक्त (II) का वर्गीकरण		
1530210.00		अ. नाममात्र (व्यक्तिक तथा अन्य) द्वारा 154791	1547910.00	
5156589400.00		ब. सहकारी संस्थाओं द्वारा 56576167	5657616700.00	
		स. राज्य शासन द्वारा 0	0.00	
		योग	5659164610.00	
7605100234.01	2	संचित निधि एवं अन्य कोष		8226634933.52
	अ	संचित निधि		
1577220510.95	1	वैधानिक संचिति	1745390510.95	
1304710190.00	2	कृषि साख स्थिरीकरण निधि	1432537535.00	
213526480.85	3	भवन निधि	213526480.85	
44745434.00	4	लाभांश समानीकरण निधि	45745434.00	
106246784.00	5	सहकारी कृषि साख विकास निधि	124219923.00	
133680000.00	6	विनियोजन उतार–चढाव निधि	133680000.00	
0.00	7	विशेष संचिति – आयकर अधिनियम की धारा 36(1) (7)	0.00	
0.00	8	पूंजीगत संचिति	0.00	
3282230272.89	9	पुनर्मूल्यांकन संचिति	3282230272.89	
6662359672.69		योग	6977330156.69	
	ब	अन्य निधियां एवं कोष		
106.10	1	रिवाल्विंग फंड		106.10
51793025.26	2	कामन गुड फंड		60027025.26
37338668.94	3	वाहन संचिति		37338668.94
69985811.84	4	कर्मचारी कल्याण निधि		88380431.35
3597978.00	5	कर्मचारी विदेश प्रशिक्षण निधि		3597978.00
3943172.00	6	संचालक विदेश प्रशिक्षण निधि		3943172.00
4514712.53	7	वीरता पुरस्कार निधि		4514712.53
108964398.36	8	अपेक्स बैंक अधोसंरचना विकास निधि		120562398.36
11572779.00	9	कर्मचारी प्रशिक्षण निधि		17655779.00
117196093.00	10	बैंक कम्प्यूटराइजेशन निधि		117196093.00
3757196.00	11	सहकारी भण्डार रखरखाव निधि		3926270.00
46364839.00	12	कृषक कल्याण एवं बीमा आधिक्य निधि		49610378.00
46045.46	13	एनसीडीसी गोदाम निर्माण हेतु प्रावधान		46045.46
13620700.00	14	अंश विमोचन निधि		13620700.00
7545991.00	15	जिला बैंक लाभांश समानीकरण निधि		7545991.00
77165734.83	16	संदिग्ध एवं डूबंत तथा हानि के अपलेखन हेतु प्रावधान		105767734.83
203300000.00	17	फूड केडिट कंसोर्टियम हेतु प्रावधान		406600000.00
760707251.32		योग		1040333483.83
	स	मुख्य/सहायक राज्य भागीदारी निधि लेखा अंश पूंजी के लिए		
72033310.00	1	सहकारी अनुसंधान एवं विकास निधि		88971293.00
90000000.00	2	अपेक्स बैंक कर्मचारी पेंशन निधि		100000000.00
20000000.00	3	श्री अटल बिहारी बाजपेयी राष्ट्रीय सहकारी अध्ययन एवं अनुसंधान कोष		20000000.00
182033310.00		योग		208971293.00

गत वर्ष 2016 राशि रुपयों में			परिसंपत्तियां		चालू वर्ष 2017 राशि रुपयों में
39488214.79	1		नगद	28489287.58	28489287.58
4494539668.31	2		बैंकों में राशि		5367268634.13
2487684051.40		अ	भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य व्यापारिक बैंकों में राशि		3705722003.22
2019918425.18		i	भारतीय रिजर्व बैंक	2320779513.18	
2921118.92		ii	राज्य सहकारी बैंकों के चल खाते	2994889.80	
464844507.30		iii	भारतीय स्टेट बैंक तथा अन्य अनुसूचित बैंक	1381947600.24	
2006855616.91		ब	भारत में अन्य बैंकों में अवशेष		1661546630.91
775855616.91		i	अन्य व्यापारिक बैंकों के चल खाते	1661546630.91	
0.00		ii	बचत खाते	0.00	
1231000000.00		iii	अमानतों में (मांग/सावधि)	0.00	
		स	अन्य	0.00	
2220000000.00	3		मांग एवं अल्पकालीन सूचना राशि – भारत में		21566000000.00
2220000000.00		अ	मांग/सूचना/सावधि राशि में विनियोग	18400000000.00	
0.00		ब	बैंकों में सावधि निक्षेप	3166000000.00	
12367842250.00	4		विनियोग		13877484750.00
10818411250.00		अ	केन्द्रीय/राज्य शासन की प्रतिभूतियों में (पुस्तक मूल्य)	9778053750.00	
1199825000.00		ब	राज्य शासन की प्रतिभूतिया एवं कोषालय देयक (पुस्तक मूल्य पर)	3749825000.00	
		स	अन्य न्यासी प्रतिभूतियों में	0.00	
2021000.00		द	सहकारी संस्थाओं के अंशों में नीचे दिए गए आइटम (5) के अलावा	2021000.00	
245000.00		इ	अन्य विनियोजन	245000.00	
347340000.00		एफ	नॉन एसएलआर बांड में	347340000.00	
	5		मुख्य/सहायक राशि में से		0.00
			विनियोग राज्य भागीदारी निधि अंशों में		
0.00		अ	केंद्रीय सहकारी बैंक	0.00	
0.00		ब	प्राथमिक कृषि साख समितियां	0.00	
0.00		स	अन्य समितियां	0.00	
107110303273.56	6		ऋण तथा अग्रिम		106906812765.87
55475662773.03	i		अल्पावधि ऋण	69569094383.05	
		अ	उपरोक्त में से	69569094383.05	
			शासकीय तथा अनुमोदित प्रतिभूतियों पर		
		ब	अन्य मूर्त प्रतिभूतियों पर	0.00	
			अग्रिम की राशि जो अतिदेय/बकाया है		
			वसूली में संदिग्ध तथा डूबंत समझी गई राशि		
10893961944.28	ii		नगद साख एवं अधिविकर्ष	11886629637.12	
		अ	जो कि सुरक्षित हैं	0.00	
			शासकीय तथा अनुमोदित प्रतिभूतियों पर	11886629637.12	
		ब	अन्य मूर्त प्रतिभूतियों पर	0.00	
			अग्रिम की राशि जो अतिदेय/बकाया है		
			वसूली में संदिग्ध तथा डूबंत समझी गई राशि		
40107761045.25	iii		मध्यावधि ऋण	24878070469.62	
0.00		अ	जो कि सुरक्षित हैं		
			शासकीय तथा अनुमोदित प्रतिभूतियों पर	24878070469.62	
		ब	अन्य मूर्त प्रतिभूतियों पर		
			अग्रिम की राशि जो अतिदेय/बकाया है		
			वसूली में संदिग्ध तथा डूबंत समझी गई राशि		
0.00				0.00	
0.00			वसूली में संदिग्ध तथा डूबंत समझी गई राशि	0.00	
	iv		दीर्घावधि ऋण	573018276.08	
632917511.00		अ	जो कि सुरक्षित हैं		
0.00			शासकीय तथा अनुमोदित प्रतिभूतियों पर	573018276.08	
0.00		ब	अन्य मूर्त प्रतिभूतियों पर	0.00	
0.00			अग्रिम की राशि जो अतिदेय/बकाया है	0.00	
0.00			वसूली में संदिग्ध तथा डूबंत समझी गई राशि	0.00	
0.00	7		संग्रहण हेतु प्राप्य विपत्र (प्रतिपक्षी)	0.00	0.00
2736945.00	8		सीटीएस क्लियरिंग डीडी/बीसी समायोजन खाता	0.00	0.00
0.00	9		मुख्यालय/अंतर शाखा समायोजन खाता	184896916.21	184896916.21

गत वर्ष 2016 31 मार्च 2016		देयतायें		चालू वर्ष 2017 राशि रुपयों में
2821995524.96	द	प्रावधान		3226424524.96
414492000.00	1	मानक अस्तियों के विरुद्ध प्रावधान	414492000.00	
1241499947.10	2	एनपीए के विरुद्ध प्रावधान (ऋण तथा अग्रिम हेतु)	1645928947.10	
0.00	3	संदिग्ध एवं डूबंत ऋणार्थ प्रावधान	0.00	
0.00	4	विशेष संदिग्ध एवं डूबंत ऋणार्थ प्रावधान	0.00	
81908789.41	5	विनियोग अवक्षयण प्रावधान	81908789.41	
1084094788.45	6	अदत्त ब्याज प्रावधान	1084094788.45	
0.00	7	विनियोग पर अवक्षयण प्रावधान	0.00	
	8	शाखा समायोजन खाता प्रावधान	0.00	
0.00	9	आकस्मिकता/अकोषीय प्रावधान	0.00	
2821995524.96		योग	3226424524.96	
50127252061.63	3	निक्षेप एवं अन्य लेखे		59013096930.23
		I. सावधि अमानतें		
5976314862.27		अ) व्यक्तिगत	9568076984.07	
28128092697.02		ब) केन्द्रीय सहकारी बैंक	32305989429.32	
11307424264.56		स) अन्य समितियां	11900680257.25	
45411831823.85		योग	53774746670.64	
		II. बचत बैंक अमानतें		
1902447405.45		अ) व्यक्तिगत	1998067262.14	
126846818.82		ब) समितियां	481540970.32	
2029294224.27		योग	2479608232.46	
		III. चालू अमानतें		
72928510.16		अ) व्यक्तिगत	101842879.44	
2207531770.92		ब) केन्द्रीय सहकारी बैंक	2483860312.31	
405665732.43		स) अन्य समितियां	173038835.38	
2686126013.51		योग	2758742027.13	
61483018874.00	4	ऋणार्जन		73449393733.00
		I. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से		
58120100000.00		अ) अल्पकालीन नगद साख तथा अधिविकर्ष	60610000000.00	
		उपरोक्त का वर्गीकरण		
		निरंक		
		अ. शासकीय एवं अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	0.00	
		ब. अन्य मूर्त प्रतिभूतियों में	0.00	
58120100000.00		योग	60610000000.00	
2668023557.00		ब. मध्यावधि	7865523000.00	
		उपरोक्त का वर्गीकरण		
		निरंक		
		अ. शासकीय एवं अन्य प्रतिभूतियों में	0.00	
		ब. अन्य मूर्त प्रतिभूतियों में	0.00	
2668023557.00		योग	7865523000.00	
0.00		ब. दीर्घ अवधि ऋण	1491301733.00	
		उपरोक्त का वर्गीकरण		
		निरंक		
		अ. शासकीय एवं अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	0.00	
		ब. अन्य मूर्त प्रतिभूतियों में	0.00	
0.00		योग	1491301733.00	
		II. राज्य शासन से	3482569000.00	
693798667.00		मध्यावधि परिवर्तित ऋण		
		योग	3482569000.00	
		III. अन्य साधनों से ऋण		
1096650.00		अ. अन्य साधनों से ऋण	0.00	
		ब. ग्रामीण आवास विकास निगम	0.00	
		स. राज्य सहकारी बेंकों से अधिविकर्ष	0.00	
		द. राज्य सहकारी बैंकों से अधिविकर्ष		
		इ. भारतीय स्टेट बैंक से अधिविकर्ष		
1096650.00		योग	0.00	

गत वर्ष 2016 राशि रुपयों में			परिसंपत्तियां				चालू वर्ष 2017 राशि रुपयों में
3390000520.09	10		भूमि एवं भवन (अवक्षयण पश्चात)				3373215677.11
96673023.09						87896641.79	
	i		भवन ऐतिहासिक मूल्य		235305757.39		
			संचित अवक्षयण		147409115.60		
3293327497.00	ii		लीज होल्ड/फ्री होल्ड भवन			3285319035.32	
			ऐतिहासिक मूल्य		3285319035.32		
			किश्तों में ऋण का मूल्य		0.00		
0.00	iii		शाखा भवन निर्माण खाता			0.00	
44278529.44	11		फर्नीचर/फिक्चर खाता (अवक्षयण घटाकर)				40720531.78
30256230.50	i		फर्नीचर			26549177.07	
			ऐतिहासिक मूल्य		109922745.16		
			संचित अवक्षयण	(-)	83373568.09		
12279050.90	ii		मोटर कार			12769026.06	
			ऐतिहासिक मूल्य		23165291.00		
			संचित अवक्षयण	(-)	10396264.94		
1233136.74	iii		कम्प्यूटर हार्डवेयर खाता			944514.89	
			ऐतिहासिक मूल्य		32271226.11		
			संचित अवक्षयण	(-)	31326711.22		
25651.76	iv		कम्प्यूटर साफ्टवेयर खाता			10288.76	
			ऐतिहासिक मूल्य		13889309.26		
			संचित अवक्षयण	(-)	13879020.50		
443882.91	v		पुस्तकालय खाता			409790.41	
			ऐतिहासिक मूल्य		1887665.54		
			संचित अवक्षयण	(-)	1477875.13		
40576.63	vi		आयुध/स्फोटास्त्र			37734.59	
			ऐतिहासिक मूल्य		81996.50		
			संचित अवक्षयण	(-)	44261.91		
	12		प्राप्तियोग्य ब्याज				626895548.52
741533955.78			i) विनियोजन			492621293.00	
368736965.00			ii) ऋण तथा अग्रिम			134274255.52	
372796990.78			योग				
191124856.51	13		अन्य संपत्तियां				245757267.54
0.00	अ	1	अग्रिम कर भुगतान			0.00	
1343311.91		2	विविध लेनदारी			2172631.51	
853157.30		3	स्टेशनरी एवं स्टाम्प			625266.62	
0.00		4	विलंबित कर संपत्ति			0.00	
326236.00		5	पूर्वप्रदत्त व्यय			745812.00	
0.00		6	सीसीएल, सीबीएलओ एवं अन्य में जमा मार्जिन/सुरक्षा निधि			0.00	
0.00		7	शासन से प्राप्ति योग्य ब्याज (अनुदान/सहायता)			0.00	
2522705.21			योग (13.अ)			3543710.13	
	ब		विविध खाते (अन्य संपत्तियां)				
87015.75		1	कर्मचारी प्रवास अग्रिम			43900.75	
77010.00		2	रियायत अवकाश यात्रा अग्रिम			44900.00	
1531200.00		3	अनाज अग्रिम			1237600.00	
752630.00		4	चिकित्सा अग्रिम			704739.00	
521650.00		5	भारतीय रिजर्व बैंक डीफ खाते से प्राप्ति योग्य			658897.00	
0.00		6	टीसीएस अग्रिम			0.00	
3053.56		7	पेट्रोल/डीजल			0.00	
170938.29		8	अन्य अग्रिम			415885.29	
0.00		9	संवर्ग अधिकारियों को विभिन्न अग्रिम			0.00	
145953.29		10	भवन रखरखाव अग्रिम			1145953.29	
745378.00		11	एकमुश्त समझौता राशि			745378.00	
38949.33		12	क्लियरिंग हाउस समायोजन			38949.33	
0.00		13	प्राप्ति योग्य कमीशन			0.00	
79142.00		14	प्राप्ति योग्य किराया			309142.00	
0.00		15	सेनवेट क्रेडिट			2560.00	
9752418.00		16	एसीएसटीआइ बीसी			0.00	
1252772.00		17	एमपीइबी सुरक्षा निधि			1641901.00	
21675.00		18	जल सुरक्षा निधि			21675.00	
365339.00		19	बीएसएनएल सुरक्षा निधि			5000.00	
66900392.00		20	आयकर जमा अपील			75450392.00	
0.00		21	शाखा भवन निर्माण खाता			3814785.00	
762703.00		22	प्रशिक्षण व्यय पुनर्भुगतान आरबीएल			841100.00	
0.00		23	बैंकर्स चेक मुख्यालय			13519.00	
25750.00		24	अग्रिम किराया भुगतान			25750.00	
505600.00		25	प्राप्ति योग्य परिपक्व विनियोग			505600.00	
0.00		26	अन्य संपत्तियां एबीटीसी			0.00	
0.00		27	प्रबंधक चेक			0.00	
0.00		28	शासकीय प्रतिभूति क्रय पर हानि			10703250.00	
59321509.00		29	वापसी योग्य आयकर			96312379.00	
37393636.58		30	प्राप्ति योग्य स्त्रोत पर काटा गया आयकर			39024257.58	

गत वर्ष 2016 31 मार्च 2016		देयतायें		चालू वर्ष 2017 राशि रुपयों में
0.00	5	देय पत्र विमुख (प्रतिपक्षी)	0.00	0.00
358142696.72	6	(6-I) शाखा समायोजन खाता	0.00	0.00
271184877.87				
		(6-II) अंतर शाखा समायोजन खाता	0.00	
86957818.85				
		योग	0.00	
2154059942.43	7	देय योग्य ब्याज		1947145825.40
1890585963.18		अमानतों पर	1918613987.41	
263473979.25			28531837.99	
			1947145825.40	
314263743.16	8	अन्य देयताएं		369844086.97
1924281.02	1	देय विपत्र	3186477.97	
1744853.36	2	देय डीडी	1741353.36	
12203503.82	3	देय बैंकर्स चेक	11400625.43	
355.00	4	अदत्त लाभांश/देय लाभांश	355.00	
7343098.00	5	भविष्य निधि	7299374.00	
7716528.75	6	देययोग्य उपादान राशि	8296598.75	
31504045.23	7	विविध देनदारी	45332716.95	
0.00	8	विलंबित कर दायित्व	0.00	
0.00	9	अनुदान प्रावधान निधि	0.00	
50000563.00	10	आयकर/देय योग्य आयकर प्रावधान	0.00	
201826514.98	11	अन्य विविध खाते (संलग्न प्रपत्र अनुसार)	292586585.51	
			369844086.97	
579895526.57	9	लाभ हानि खाता		325836734.66
763742954.37		विगत स्थिति विवरण अनुसार लाभ	579895526.57	
16558075.22		जोड़ें (+) लाभ के वितरण से वापसी	25312748.53	
761283000.00		घटाइए (–) लाभ वितरण	577391000.00	
560877496.98		लाभ हानि खाते से लाया गया वर्ष का लाभ	298019459.56	
130601848213.48		कुल देयतायें		152217541378.74
	10	आकस्मिक देयतायें		
10095000.00	i	दी गई प्रत्याभूति के विरुद्व देय राशि	0.00	10595000.00
3891721.00	ii	अन्य (बैंक के विरुद्व दावे)	0.00	3891721.00
15259972.00	iii	भारतीय रिजर्व बैंक डीफ फंड खाता	0.00	16210361.00
	iv	अन्य	0.00	
29246693.00				30697082.00

लेखा नीति एवं लेखाओं पर टीप स्थिति विवरण पत्रक एवं लाभ हानि खाते के अविभाज्य अंग हैं

(उमेश सोनी) सहायक प्रबंधक | (समीर सक्सेना) उप–प्रबंधक | (उमेश राहंगडाले) सहायक महाप्रबंधक | (प्रदीप नीखरा) प्रभारी प्रबंध संचालक | (के.सी.गुप्ता, आइ.ए.एस.) प्रमुख सचिव, (म.प्र. शासन) एवं प्रशासक

वास्ते – अग्रवाल कान्हेरे एसोसिएट्स
चार्टड एकाउन्टेंट्स (एफ़आरएन क. 008165सी)
सीए अशोक अग्रवाल
पार्टनर (एम. क. 075857)

गत वर्ष 2016 राशि रुपयों में		परिसंपत्तियां		चालू वर्ष 2017 राशि रुपयों में
3886.17	31	यूआईडी केडिट		266874.65
7873796.60	32	लोक अदालत ओटीएस		7244703.09
0.00	33	डेटा माइग्रेशन अंतर		900406.43
0.00	34	तिलहन संघ अपलिखित खाता		0.00
0.00	35	प्रचार हेतु अग्रिम		0.00
0.00	36	न्यू ग्रुप अवशेष खाता		0.00
47460.00	37	त्यौहार अग्रिम		44060.00
0.00	38	अधिवक्ता अग्रिम		0.00
10000.00	39	सीटीओ सुरक्षा निधि		0.00
0.00	40	शासकीय प्रतिभूति विनियोजन समायोजन खाता		0.00
0.00	41	यूटीआई पेन कार्ड कूपन स्कंध खाता /यूआईडी		0.00
0.00	42	केन्द्र शासन प्रतिभूति प्रीमीयम समायोजन खाता		0.00
0.00	43	बिना एडवाइज ड्राफ्ट भुगतान		0.00
0.00	44	प्रस्तावित शाखा व्यय		0.00
0.00	45	सरसाई व्यय अग्रिम	0.00	50000.00
212293.73	46	अन्य (सीबीएस)		0.00
188602151.30		योग (13.ब)		242213557.41
	11	दावे की पूर्ति हेतु अर्जित अबैंकीय संपत्ति		0.00
	12	हानियां/आय से अधिक खर्च		0.00
	12.1	संचित हानि विगत स्थिति विवरण अनुसार	0.00	
	12.2	चालू तिमाही/वर्ष की हानियां	0.00	
130601848213.48		कुल संपत्तियां		152217541378.74

लेखा नीति एवं लेखाओं पर टीप स्थिति विवरण पत्रक एवं लाभ हानि खाते के अविभाज्य अंग हैं

(उमेश सोनी) सहायक प्रबंधक | (समीर सक्सेना) उप–प्रबंधक | (उमेश राहंगडाले) सहायक महाप्रबंधक | (प्रदीप नीखरा) प्रभारी प्रबंध संचालक | (के.सी.गुप्ता, आइ.ए.एस.) प्रमुख सचिव, (म.प्र. शासन) एवं प्रशासक

वास्ते – अग्रवाल कान्हेरे एसोसिएट्स
चार्टड एकाउन्टेंट्स (एफ़आरएन क. 008165सी)
सीए अशोक अग्रवाल
पार्टनर (एम. क. 075857)

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल

लाभ हानि खाता 31 मार्च, 2017 (अंकेक्षित)

गत वर्ष 2016 (राशि रु.)	आय	चालू वर्ष 2017 (राशि रु.)
8962264905.57	ब्याज आय	10027589138.01
7082398101.72	ऋण एवं अग्रिम/बिल्स पर प्राप्त ब्याज एवं बट्टा	8220095749.43
7082398101.72	वास्तविक प्राप्तियां	8220095749.43
	ब्याज उपार्जित परंतु देय नहीं	0.00
	ब्याज उपार्जित एवं देय परंतु प्राप्त नहीं	0.00
1879866803.85	विनियोजन पर आय	1807493388.58
1879866803.85	वास्तविक प्राप्तियां	1807493388.58
	ब्याज उपार्जित परंतु देय नहीं	0.00
	ब्याज उपार्जित एवं देय परंतु प्राप्त नहीं	0.00
	भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य अंतर बैंक निधियों पर प्राप्त ब्याज	0.00
0.00	अन्य ब्याज प्राप्तियां	0.00
26577262.12	अन्य परिचालन आय	15177768.08
1664487.70	कमीशन, एक्सचेंज एवं ब्रोकरेज	370544.05
370300.00	लाभांश आय	351400.00
	क्रय विक्रय से लाभ (+) / हानि (–)	0.00
	विनियोग की बिक्री पर लाभ/हानि	0.00
	विनियोग के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ/हानि	0.00
	अनुदान/चंदा प्राप्त	0.00
24542474.42	विविध आय	14455824.03
3010738.00	नाबार्ड से पुनर्भुगतान	2249836.00
309.00	प्रवेश शुल्क	254.00
67254.94	प्रासंगिक शुल्क	625.00
19040.00	संसाधन शुल्क	54175.00
11053635.48	अन्य आय	7526423.03
5760102.00	पूर्व अवधि आय	0.00
4631395.00	सेफ कस्टडी/लाकर शुल्क	4624511.00
8988842167.69	कुल परिचालन आय	10042766906.09
0.00	अपरिचालन आय	423199.90
0.00	भूमि/भवन की बिक्री पर लाभ/हानि	0.00
0.00	अन्य संपत्तियों की बिक्री पर लाभ/हानि	423199.90
0.00	प्राक्धानों के परिवर्तन पर आय	0.00
0.00	अन्य अपरिचालन आय (विवरण)	0.00
8988842167.69	महायोग	10043190105.99

(उमेश सोनी) सहायक प्रबंधक | (समीर सक्सेना) उप–प्रबंधक | (उमेश राहंगडाले) सहायक महाप्रबंधक | (प्रदीप नीखरा) प्रभारी प्रबंध संचालक | (के.सी.गुप्ता, आई.ए.एस.,) प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन एवं प्रशासक

वास्ते – अग्रवाल कान्हेरे एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स (एफआरएन क. 008165सी)
सीए अशोक अग्रवाल
पार्टनर (एम. क. 075857)

गत वर्ष 2016 (राशि रु.)	व्यय	चालू वर्ष 2017 (राशि रु.)
7111123239.53	ब्याज व्यय	7904358494.84
4134621199.00	ग्राहक जमा पर	3778869577.84
	अंतर बैंक जमा पर	43236847.00
	अन्य राज्य सहकारी बैंकों के ऋणों पर	0.00
2928000204.00	नाबार्ड/एनएचबी/सिडबी/एफआईएस के ऋणों पर	4025067923.00
	अन्य ऋणों पर	
48501836.53	अन्य ब्याज व्यय	57184147.00
48501836.53	अन्य ब्याज	57184147.00
661991537.20	परिचालन व्यय	631686941.59
480191707.77	कर्मचारियों हेतु भुगतान एवं प्रावधान	503470211.77
20873402.80	किराया, कर, बीमा एवं बिजली	21158023.31
3497906.66	प्रिटिंग एवं स्टेशनरी	3388058.30
3644827.50	विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार	3481574.00
17679722.87	बैंक संपत्तियों पर अवक्षयण	16737745.81
386725.00	संचालक शुल्क, भत्ते एवं खर्च	0.00
10761480.00	अंकेक्षण शुल्क एवं खर्च	1824500.00
1942590.30	विधि व्यय	1555350.60
2774604.07	डाक तार एवं दूरभाष व्यय	2702875.53
2958066.54	मरम्मत एवं रखरखाव व्यय	2721698.85
22284977.00	बीमा (समूह बीमा)	24569816.00
0.00	पूर्व अवधि खर्च	4000.00
566996010.51	परिचालन व्यय	581613854.17
	अन्य व्यय (विवरण)	0.00
4034054.00	सीबीएस साफ्टवेयर एवं किराया व्यय	0.00
7598373.90	भवन रखरखाव	8246090.40
713676.70	भृत्य गणवेश	752160.54
236646.00	समाचार पत्र/पत्रिकाएं	209745.00
57146732.47	अन्य व्यय	15101673.53
14382977.45	कमीशन, एक्सचेंज एवं ब्रोकरेज	14203386.59
9472782.17	विविध एवं आकस्मिक	10252002.36
1410284.00	अनुदान/चंदा	1308029.00
94995526.69	अन्य व्यय	50073087.42
7773114776.73	कुल परिचालन व्यय	8536045436.43
1215727390.96	परिचालन लाभ/हानि	1507144669.56
	अपलेखन	
0.00	संग्दिग्ध एवं डूबंत संपत्तियां अपलेखित	0.00
0.00	अन्य संपत्तियां अपलेखित	0.00
0.00	अपलेखित पूंजीगत व्यय	0.00
229750000.00	आकस्मिक/जोखिम प्रावधान	642414000.00
15000000.00	मानक अस्तियों के विरुद्व प्रावधान	0.00
0.00	अमानक अस्तियों के विरुद्व प्रावधान	431859000.00
0.00	अपलेखित अप्राप्त/संग्दिग्ध एवं डूबंत ब्याज	1172000.00
0.00	विनियोग अवक्षयण प्रावधान	0.00
0.00	भुगतान योग्य अंकेक्षण शुल्क प्रावधान	0.00
0.00	डकैती/जालसाजी प्रावधान	0.00
203300000.00	अन्य संपत्ति (विवरण) फूड कंसोर्टियम प्रावधान	203300000.00
11450000.00	आकस्मिक/अकोषीय खर्च एवं कर्मचारी प्रशिक्षण प्रावधान	6083000.00
985977390.96	लाभ (+) / हानि (–) कर से पहले	864730669.56
425100000.00	अग्रिम आयकर भुगतान	510000000.00
0.00	आयकर हेतु प्रावधान	56711210.00
8427964776.73	कुल व्यय	9745170646.43
560877390.96	वर्ष के दौरान शुद्व लाभ (+) / हानि (–)	298019459.56
8988842167.69	महायोग	10043190105.99

(उमेश सोनी) सहायक प्रबंधक | (समीर सक्सेना) उप–प्रबंधक | (उमेश राहंगडाले) सहायक महाप्रबंधक | (प्रदीप नीखरा) प्रभारी प्रबंध संचालक | (के.सी.गुप्ता, आई.ए.एस.,) प्रमुख सचिव, (म.प्र. शासन) एवं प्रशासक

वास्ते – अग्रवाल कान्हेरे एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स (एफआरएन क. 008165सी)
सीए अशोक अग्रवाल
पार्टनर (एम. क. 075857)

स्वतंत्र अंकेक्षण प्रतिवेदन

प्रति,

सदस्यगण,
मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल
वित्तीय विवरणियों का प्रतिवेदन

वित्तीय विवरणियों पर प्रतिवेदन

I. हमने मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल, मध्यप्रदेश, की 31.03.2017 की स्थिति में वित्तीय विवरणिया, जिनमें 31.03.2017 को समाप्त वर्ष का तुलनपत्र एवं उस तिथि को समाप्त वर्ष के लाभ-हानि खाता तथा नगदी प्रवाह विवरण एवं महत्वपूर्ण लेखा नीतियो का सारांश तथा अन्य विवरणात्मक सूचना की लेखा परीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणियों में 24 शाखाओं एवं 1 प्रशिक्षण महाविद्यालय के लेखे एवं विवरणियां शामिल हैं।

वित्तीय विवरणियों के सम्बन्ध में प्रबंधन का दायित्व

II. भारतीय रिजर्व बैंक/नाबार्ड की अपेक्षाओं एवं बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 के प्रावधानों (सहकारी समितियां पर लागू) तथा समाविष्ट लेखा नीतियों, परम्पराओं, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा-परीक्षा मानकों के अनुसार इन वित्तीय विवरणों, जो बैंक की वित्तीय स्थिति का सटीक और सही चित्र प्रस्तुत करते हैं, को तैयार करने के जिम्मेदारी बैंक प्रबंधन की है। इस जिम्मेदारी के अंतर्गत वित्तीय विवरणियों की तायैरी से संबंधित नियंत्रणों का निर्माण, कार्यान्वयन एवं अनुरक्षण भी शामिल हैं, जो धोखाधड़ी या त्रुटिवश किसी भी प्रकार के वस्तुगत गलत बयानी से मुक्त है। इन जोखिमों के आकलन में प्रबंधन ने ऐसे नियंत्रणों का कार्यान्वयन किया है जो वित्तीय विवरणियों को तैयार करने एवं परिकल्पिक प्रक्रियाओं, जो परिस्थितियों के अनुरूप है, से सम्बंधित है, ताकि बैंक के सभी कार्यकलापों पर आंतरिक नियंत्रण प्रभावी हो।

लेखा-परीक्षक का दायित्व

III. हमारी जिम्मेदारी इन वित्तीय रिवरणियों पर अपनी लेखा परीक्षा आधारित अभिमत देने की है। हमने अपनी लेखा परीक्षा भारीतय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआईः द्वाराजारी लेखा-परीक्षा मानकों द्वारा पूरी की है। इन मानकों के अंतर्गत यह अपेक्षा की जाती है कि हम अपनी नैतिक जिम्मेदारियों का पालन करें और अपनी लेखा-परीक्षा की योजना इस प्रकार बनाएं एवं निष्पादित करें ताकि हम समुचित रूप से इस बारे में आश्वस्त हो जाएं कि वित्तीय विवरणियों में कोई वस्तुगत गलत विवरण नहीं दिए गए हैं।

IV. लेखा-परीक्षा के अंतर्गत वित्तीय विवरणियों में प्रस्तुत राशियों और प्रकटीकरणों के संबंध में लेखांकन साक्ष्य प्राप्त करने के लिये की जाने वाली निष्पादन प्रक्रियाएँ शामिल हैं। जांच के लिये चुनी गई पद्धतियां लेखा-परीक्षक के विवेक, वित्तीय विवरणियों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाली किसी भी वस्तुगत गलत बयानी के जोखिम के आकलन पर आधारित होती है। इन जोखिमों के आकलनों की जांच करते समय लेखा-परीक्षक बैंक के वित्तीय विवरणियों को तैयार करने से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों को संज्ञान में लेता है ताकि इन परिस्थितियों के लिये समुचित पद्धति बनाई जा सके परंतु इनका उद्देश्य संस्थाके आंतरिक नियंत्रणों की प्रभावशीलता केबारे में किसी भी प्रकार का अभिमत देना नहीं है। लेखा परीक्षा के अंतर्गत प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखा-सिद्धांतों तता प्रमुख आकलनों की जांच तथा समग्र वित्तीय विवरण की प्रस्तुति की जांच भी की जाती है।

V. हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किया गया लेखा साक्ष्य हमारे लाखा परीक्षा अभिमत कोआधार प्रदान करने के लिये पर्याप्त एवं उपयुक्त है।

सापेक्ष अभिमत का आधार

VI. हम तुलन पत्र की प्रमुख लेखा टिप्पणियों के निम्न संदर्भित विषयों पर ध्यान आकर्षित करते हैं-

1. महत्वपूर्ण विषय जिनके संबंध में अंकेक्षक के दौरान मात्रात्मक वित्तीय प्रभाव का आकलन संभव नहीं हुआ -

1.1 छुट्टी भुनाने से संबंधी खर्चे का प्रावधान न किया जाना :

छुट्टी भुनाने पर देय राशि का प्रावधान नहीं किया गया है जो कि लेखा मानक 15 के विरुद्ध है। पर्याप्त जानकारी के अभाव में हम उक्त के वित्तीय विवरणों पर होने वाले प्रभाव की गणना करने में समर्थ नहीं है।

1.2 वर्ष के दौरान क्रय की गयी स्थायी संपत्तियों पर ह्रास की गणना :

बैंक द्वारा वर्ष में 30.09.2016 तक खरीदी गयी स्थायी संपत्तियों पर पूरे वर्ष के लिये ह्रास की गणना की जाती है तथा 30.09.2016 के बाद खरीदी गयी स्थायी संपत्तियों पर आधे वर्ष के लिये ह्रास की गणना की जाती है। बैंक द्वारा ह्रास की गणनासंपत्ति को वर्ष में उपयोग में लाये गये दिनों के अनुपात में करना चाहिए। बैंक द्वारा वर्ष में विक्रय की गयी संपत्तियों पर ह्रास कीगणना नहीं की गयी है। इस पद्धति का अनुसरण बैंक द्वारा विगत कई वर्षो से किया जा रहा है। अतः हम उक्त के वित्तीय विवरणों पर होने वाले प्रभाव की गणना करने में समर्थ नहीं है।

1.3 आयकर का लेखांकन :

Deferred Tax Asset/Liability की खातों में प्रविष्ट नहीं की गयी है। विगत वर्षों में भी उक्त राशि की प्रविष्टि न किये जाने के कारण हम उक्त के वित्तीय विवरणों पर होने वाले प्रभाव की गणना करने में समर्थ नहीं है।

2. रिज़र्व बैंक/नाबार्ड द्वारा दिये गए प्रस्तुतीकरण के मानदंड के अनुपालन :

2.1 बैंक द्वारा धारित गैर बैंकिंग आस्तियों का प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

हमारे लेखा परीक्षा तथा हमारे 'LFAR' में किये गये अवलोकन एवं टिप्पणी के आधार पर हम यह रिपोर्ट करते हैं कि :

सापेक्ष अभिमत :

VII. 'सापेक्ष अभिमत का आधार' अनुच्छेद में दर्शाए गए प्रकरणों के वांछित प्रभावों के अलावा, हमारे अभिमत में बैंक की लेखा पुस्तकों में दिखाए अनुसार तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार तुलनपत्र, लाभ तता हानि खाता एं नगदी प्रवाह विवरण, सहपठित प्रस्तुत लेखांकन नीति एवं लेखा टिप्पणियों, जिनमें आवश्यक विवरण दिए गए हैं जो कि बैंक कारी विनियमन अधिनियम 1949 की त्रितीय अनुसूची (सहकारी समितियों पर लागू) में दिए गए क्रमशः फार्मेट 'क' तथा 'ख' एवं भारत में सामान्यतः मान्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप इस प्रकार से तैयार किये गये हैं जो कि प्रस्तुत वित्तीय विवरणियों का सही एवं सत्य चित्र दर्शाता है :

a) प्रस्तुत तुलन पत्र के संदर्भ में बैंक के कार्यों का जो कि 31.03.2017 तक से संबंधित है,

b) प्रस्तुत लाभ एवं हानि खाता के संदर्भ में संबंधित वित्तीय वर्ष के लाभ के वास्तविक शेष का, तथा

c) नगद प्रवाह विवरणी इस तिथि को समाप्त वर्ष के नगद प्रवाह का।

VIII. **अन्य विधिक एवं नियामक अपेक्षाओं की रिपोर्ट :**

इस प्रतिवेदन के अनुच्छेद VI व VII के प्रभाव के दृष्टिगत तथा लेखांकन नीति एवं लेखा टिप्पणी सहपठित, हम प्रतिवेदन करते हैं कि :

a) 'सापेक्ष अभिमत का आधार' अनुच्छेद में दर्शाये गए प्रकरणों के वांछित प्रभावों के अतिरिक्त हमारे मत में तुलन पत्र एवं लाभ-हानि खात, तथा नगदी प्रवाह विवरण उपयुक्त लेखांकन मानकों का पालन करते हैं।

b) बैंक की शाखाओं एवं कार्यालयों से प्राप्त विवरण अंकेक्षण के संदर्भ में संतोषजनक पाए गए हैं।

c) हमारे मत एवं सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार एवं हमें उपलब्ध कराये गये विवरणों एवं लेखा पुस्तकों के अनुसार बैंक द्वारा संचालित व्यवसाय बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर लागू), सहकारी समिति अधिनियम, नियम एवं बैंक की उपविधि के अनुरूप हैं।

d) हमने अंकेक्षण के संदर्भ में समस्त विवरण जो कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार अनिवार्य है, प्राप्त किये हैं।

e) हमारी जानकारी में आये बैंक के लेनदेन बैंक के अधिकार क्षेत्र में पाए गए हैं।

For Agrawal Kanhere Associates
Chartered Accountants
Firm Reg. No.- 008165C

CA Ashok Kumar Agrawal
(Partner)
Membership No.:- 075857

Place:- BHOPAL
Date:- 23.08.2017

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित शहडोल म0प्र0

दूसरी तालिका बैंकिंग एग्लेशन एक्ट 1949 धारा 29 के अन्तर्गत प्रारूप ''स''

स्थिति विवरण पत्रक वर्ष 2016–2017

राशि (रू.)	विवरण पूँजी एवं दायित्व		राशि (रू.)
500,000,000.00	**1. अंश पूँजी अधिकृत**	500,000,000.00	
	''अ'' श्रेणी के अंशों में रूपयें 100.00 प्रति अंश		
	''ब'' श्रेणी के अंशों में रूपये 1000.00 प्रति अंश		
	''स'' श्रेणी के अंशों में रूपये 50.00 प्रति अंश		
	''द'' श्रेणी के अंशों में रूपये 1.00 प्रति अंश		
114,816,714.50	**''अ'' प्रदत्त अंशपूजी**	120,062,674.50	120,062,674.50
108,743,919.50	''अ'' श्रेणी के अंशों में रूपये 100.00 प्रति अंश	115,920,339.50	
-	''ब'' श्रेणी के अंशों में रूपये 1000.00 प्रति अंश	-	
6,038,750.00	''स'' श्रेणी के अंशों में रूपये 50.00 प्रति अंश	4,108,250.00	
34,045.00	''द'' श्रेणी के अंशों में रूपये 1.00 प्रति अंश	34,085.00	
114,816,714.50	**ब अभिदत्त अंशपूंजी**	120,062,674.50	120,062,674.50
108,743,919.50	''अ'' श्रेणी के अंशों में रूपये 100.00 प्रति अंश	115,920,339.50	
-	''ब'' श्रेणी के अंशों में रूपये 1000.00 प्रति अंश	-	
6,038,750.00	''स'' श्रेणी के अंशों में रूपये 50.00 प्रति अंश	4,108,250.00	
34,045.00	''द'' श्रेणी के अंशों में रूपये 1.00 प्रति अंश	34,085.00	
114,816,714.50	**स उक्त में से धारित अंशपूजी**	120,062,674.50	120,062,674.50
108,743,919.50	''अ'' सहकारी संस्थाओं द्वारा	115,920,339.50	
-	''ब'' राज्य शासन द्वारा	-	
6,038,750.00	''स'' एकीकृत सहकारी विकास परियोजना	4,108,250.00	
34,045.00	''द'' नाम मात्र	34,085.00	
513,716,286.94	**2. रक्षित कोष एवं अन्य निधियां**	526,487,213.61	526,487,213.61
1,101,863.00	1. रक्षित निधि	1,673,026.00	
258,971.00	2. कृषि साख स्थायीकरण निधि	601,669.00	
2,701,000.00	3. भवन निधि प्रावधान	2,701,000.00	
101,285.00	4. लाभांश समीकरण निधि	244,075.00	
32,149.00	5. प्रशिक्षण निधि	77,842.00	
42,052.00	5. कर्मचारी कल्याण कोष	-	
253,689.31	6. रिस्क फण्ड	-	
6,256.07	7. विनियोग अवक्षयण निधि	6,256.07	
	अन्य निधियां		
6,608,676.02	''क'' कर्मचारी सेवोपहार निधि	-	
25.00	''ख'' सामान्य हित कोष	25.00	
1,073,947.51	''ग'' वाहन निधि	1,073,947.51	
350,287.00	''घ.'' विशेष डूबन्त ऋण निधि	350,287.00	
152,266,058.00	''ड.'' कालातीत ब्याज निधि	152,266,058.00	
261,818,748.32	''च'' संदिग्ध एवं डूबन्त निधि	261,818,748.32	
22,253,000.00	''छ'' अन्य अस्तियां प्रावधान	39,826,000.00	
5,889,700.00	''ज'' ऋण मुक्ति विलम्बित खाता प्रावधान	5,889,700.00	
53,692,579.71	''झ'' कैडर फण्ड प्रावधान	53,692,579.71	
3,905,000.00	''अ'' मानक अस्तियां हेतु प्रावधान	4,905,000.00	

राशि	विवरण सम्पत्तियां लेनदारी	राशि	राशि (रू.)
34,751,150.00	**1. रोकड**	42,517,419.00	42,517,419.00
174,293,854.30	**2. बैंक बैलेन्स**	181,149,387.20	181,149,387.20
60,696,601.34	1. स्टेट बैंक आफ इंन्डिया	26,753,626.16	
37,373,783.78	2. म0प्र0 राज्य सहकारी बैंक	21,121,035.50	
14,459,766.92	3. सेन्ट्रल बैंक आफ इन्डिया	11,034,376.53	
20,858,499.01	4. बैंक आफ बडौदा	63,191,526.99	
1,323,407.94	5. इलाहाबाद बैंक	271,857.94	
4,375,042.06	6. यूनियन बैंक	458,486.06	
4,565,058.89	7. केनरा बैंक	643,938.89	
15,641,694.36	8. आई.सी.आई.सी आई. बैंक	27,447,091.13	
15,000,000.00	9. एक्सिस बैंक	30,227,448.00	
1,181,870,420.00	**3. अन्य बैंकों में**	1,362,857,984.00	1,362,857,984.00
705,364,473.00	1. मृददति अमानत शीर्ष बैंक	1,286,117,358.00	
1,505,947.00	2. रक्षित निधि शीर्ष बैंक	1,740,626.00	
70,000,000.00	3. मुददति अमानत केनरा बैंक शहडोल	-	
260,000,000.00	4. मुददति अमानत यूनियन बैंक शहडोल	-	
130,000,000.00	5. मुददति अमानत बैंक ऑफ बडौदा शहडोल	50,000,000.00	
-	6. टर्म बारोइंग नाबार्ड निवेश	10,000,000.00	
-	7. म.प्र. राज्य सह. विपणन संघ भोपाल (कर्न्सोटियम)	-	
5,000,000.00	8. मुददति अमानत सेण्ट्रल बैंक शहडोल	5,000,000.00	
-	9. मुददति अमानत स्टेट बैंक शहडोल	-	
-	10. मुददति अमानत इलाहाबाद बैंक शहडोल	-	
10,000,000.00	11. बॉण्ड आईएफसीआई (इस्को)	10,000,000.00	
	4. अभ्याचित एवं अन्य		
345,249,151.00	**5. विनियोग**	714,173,462.22	714,173,462.22
314,513,700.00	''अ'' केन्द्रीय/राज्य शासन की प्रतिभूतियॉं	678,458,462.22	
	1. पुस्तक मूल्य		
	2. बाजार मूल्य		
	3. आयुक्त कीमत		
	''ब'' अन्य प्रतिभूतियों में		
	''स'' अन्य सहकारी संस्थाओं		
	उक्त पद पांच के अतिरिक्त		
30,130,000.00	''द'' म0प्र0 राज्य सहकारी बैंक मर्या0 भोपाल	35,130,000.00	
110,000.00	''प'' भारतीय कृषक सह0 समिति नई दिल्ली	110,000.00	
475,000.00	''फ'' कृषक भारतीय सह0 समिति	475,000.00	
-	''भ'' कोर बैकिंग सिर्क्योटी राशि	-	
20,451.00	''म'' एम.पी.ई.व्ही. सिर्क्योटी		
1,688,891,518.94	**6. ऋण अग्रिम (शेष)**	1,414,291,971.87	1,414,291,971.87
1,050,073,253.76	''अ'' अल्पकालीन नगद साख एवं अधिविकर्ष	1,016,344,027.90	
	इसमें से जो प्रतिभूतियां है		

राशि (रू.)	विवरण पूँजी एवं दायित्व		राशि (रू.)
28,000.00	"ट" नान बैकिंग सम्पत्तियां हेतु प्रावधान	28,000.00	
81,000.00	"ठ" अन्तर शाखा समायोजन हेतु प्रावधान	81,000.00	
1,252,000.00	"ड" अप्राप्त ब्याज हेतु प्रावधान	1,252,000.00	
-	"त" कोर बैकिंग सेवाएँ हेतु प्रावधान	-	
-	**3. राज्य भागीदारी मूल सहायक कोष**	-	
2,183,063,097.97	**4. अमानते एवं अन्य खाते**	2,622,981,931.94	2,622,981,931.94
	"अ" मुददति अमानते खाता		
87,342.99	1. रिजर्व फण्ड समिति अमानत	90,867.99	
8,227,562.58	2. विशेष डूबन्त निधि अमानत	8,227,562.58	
1,235,781.22	3. रिवाल्विंग फण्ड अमानत	1,285,710.22	
32,785,318.86	4. कर्मचारी जमानत खाता	35,900,316.86	
316,600,148.15	5. मुददति अमानत खाता व्यक्तिगत	290,119,602.29	
325,977.00	6. मुददति अमानत संस्थाएं	333,848.00	
-	7. मुददति अमानत मैच्यौर्ड बट नाट पेड	-	
18,289,413.00	8. आर्वतक अमानत व्यक्तिगत	22,822,706.00	
538,826,312.10	9. दोहरी अमानत व्यक्तिगत	604,272,381.54	
-	10. काल डिपाजिट खाता	-	
6,225,851.00	11. दोहरी अमानत संस्थांऐ	6,478,336.00	
2,164,623.67	12. अनक्लेम डिपाजिट खाता	625,770.09	
-	13. अनिवार्य अमानत समिति	-	
74,845.00	14. बचत बैंक बीमा गारन्टी	74,845.00	
11,468,490.00	15. मुददति अमानत समितियां	8,321,056.00	
27,833,599.00	16. दोहरी अमानत समितियां	25,962,042.00	
	"ब" बचत खाता		
842,050,057.05	1. व्यक्तिगत खाता	1,329,411,254.21	
-	2. सहकारी अधिकोष	-	
285,638,063.60	3. अन्य संस्थाएं	201,108,023.81	
	"स" चालू खाता		
69,577,018.95	1. व्यक्तिगत खाता	62,643,390.08	
-	2. सहकारी अधिकोष	-	
21,652,693.80	3. अन्य संस्थाएं	25,304,219.27	
584,399,850.00	**5. ऋण देय** (BORROWING)	353,964,410.00	353,964,410.00
	1. रिजर्व बैंक/ शीर्ष बैंक		
-	"अ" अल्पकालीन नगद साख एवं अधिविकर्ष	-	
	1. इससे जो प्रतिभूतियां है		
	2. ठोस प्रतिभूतियों से रूपये		
	3. अन्य प्रतिभूतियों से रूपये		
100,000,000.00	1. अल्पकालीन सामान्य	218,000,000.00	
16,000,000.00	2. अल्पकालीन आदिवासी	34,900,000.00	
416,740,000.00	3. मध्यावधि कनवर्सन	59,529,000.00	
-	4. कैश क्रेडिट गेहूँ खरीद	-	
-	5. कैश क्रेडिट धान खरीद	-	
-	6. मुददति अमानत तारण ऋण शीर्ष बैंक	-	
-	7. मुददति अमानत तारण ऋण केनरा बैंक शहडोल	-	
-	7. मुददति अमानत तारण ऋण यूनियन बैंक शहडोल	-	

राशि	विवरण सम्पत्तियां लेनदारी	राशि	राशि (रू.)
	इसमें से व्यक्तियों की ओर से रूपये		
	शासकीय तथा अन्य प्रतिभूतियों से रूपये		
	इसमें से संदिग्ध रूपये इसमें से डूबन्त रूपये		
638,818,265.18	"ब" मध्यकालीन ऋण	397,947,943.97	
	"अ" अल्पकालीन नगद साख एवं अधिविकर्ष		
	इसमें से जो प्रतिभूतियां है		
	इसमें से व्यक्तियों की ओर से रूपये		
	शासकीय तथा अन्य प्रतिभूतियों से रूपये		
	इसमें से संदिग्ध रूपये इसमें से डूबन्त रूपये		
103,249,647.28	**7. प्राप्ति योग्य ब्याज**	77,605,638.55	77,605,638.55
	इसमें से जो व्यक्तियों की ओर से रूपये		
77,583,452.84	इसमें से कालातीत रूपये	77,605,638.55	
-	इसमें से संदिग्ध रूपये	-	
	इसमें से डूबन्त रूपये इसमें से अवमानक		
25,666,194.44	**ब्याज प्राप्ति योग्य विनियोगो पर**	-	
528,594.43	**8. वसूली योग्य विल्स प्राप्ति अनुसार**	808,622.47	808,622.47
42,330,526.07	**9. शाखा समायोजन**	25,883,504.78	25,883,504.78
420,996.21	**10. भूमि एवं भवन खाता**	378,896.21	378,896.21
	2193905.71 विनियोजित राशि 2193905.71		
	1772909.50 अवक्षयण (–) 1815009.50		
	420996.21 378896.21		
4,323,714.15	**11. फर्नीचर फिक्चर्स (डेड स्टाक)**	4,657,873.15	4,657,873.15
	7099606.27 विनियोजित राशि 7451836.27		
	2775892.12 अवक्षयण (–) 2793963.12		
	4323714.15 4657873.15		
420,498.00	**12. कम्प्यूटर**	168,199.00	168,199.00
	विनियोजित राशि 9114698.00		
	(–) अवक्षयण 8946499.00		
	168199.00		
1,032,519.00	**13. लीज ऑन लैण्ड**	991,405.00	991,405.00
	विनियोजित राशि 1233425.00		
	(–) अवक्षयण 242020.00		
	991405.00		
160,941,401.97	**14. अन्य लेनदारियाँ**	169,702,300.41	169,702,300.41
7,428,615.46	1. आयकर प्राप्ति योग्य	7,428,615.46	
9,850.58	2. कर्मचारी अग्रिम खाता	12,895.38	
84,503,339.08	3. सण्ड्रीज डेबिटर्स	32,948,021.03	
20,120.01	4. पुस्तकालय	20,120.01	
39,673,574.86	5. कैडर फण्ड खाता	39,168,727.86	
976,418.22	6. स्कन्ध प्रपत्र एवं पंजिया	1,977,172.00	
14,026.80	7. नगदी कमी शिलक	14,026.80	
10,803,949.00	8. कैश इन ट्रांजिट	73,562,001.00	
6,956,190.72	9. विविध ऋण खाता	6,705,113.72	
-	10. सर्विस टैक्स	71,652.32	
16,163.59	11. शीर्ष बैंक से प्रापणीय	16,163.59	
5,889,688.51	12. ऋण मुक्ति विलम्बित खाता	5,889,688.51	
77.14	13. एलपीजी–क्रेडिट	25,302.73	

राशि (रू.)	विवरण पूँजी एवं दायित्व		राशि (रू.)
	''ब'' मध्यकालीन		
	इससे जो प्रतिभूतियां है		
	अन्य ठोस प्रतिभूतियों से रूपये		
	अन्य प्रतिभूतियों से रूपये		
-	1. मध्यकालीन परिवर्तित सामान्य	-	
-	2. मध्यकालीन परिवर्तित आदिवासी	-	
	''स'' राज्य शासन से		
	1. इससे से जो प्रतिभूतियां है		
	अन्य ठोस प्रतिभूतियों से रूपये		
	अनुमोदित प्रतिभूतियों से रूपये		
	2. लम्बी अवधि का ऋण		
	इसस जो प्रतिभूतियां है		
	अन्य ठोस प्रतिभूतियों से रूपये		
	शासकीय तथा अन्य अनुमोदित		
	प्रतिभूतियों से रूपये		
-	3. पैक्स मल्टी सर्विस सेन्टर	-	
18,527.00	4. दीर्घकालीन आवास ऋण	18,527.00	
413,523.00	5. गोदाम ऋण शीर्ष बैंक	413,523.00	
47,575,300.00	6. मध्यकालीन वाहन ऋण	38,068,360.00	
3,502,500.00	7. आई.सी.डी.पी. शहडोल	2,885,000.00	
	''द'' मध्यकालीन ऋण शासन		
100,000.00	1. मध्यकालीन शासन	100,000.00	
-	2. पहुंचविहीन सहायता शासन से	-	
50,000.00	3. कोल माइन्स कमिशनर से	50,000.00	
528,594.43	**4. वसूली योग्य बिल प्राप्ति अनुसार**	808,622.47	808,622.47
-	**5. शाखा समायोजन**	-	-
117,125,444.95	**6. ब्याज देय खाता**	123,436,029.10	123,436,029.10
111,268,571.31	**7. अन्य देनदारियां**	132,878,042.34	132,878,042.34
31,071.08	1. विल्स पेयेबुल खाता	31,071.08	
73,862,343.86	2. सण्ड्रीज क्रेडिटर्स	68,156,443.41	
5,059.62	3. म0प्र0 राज्य सह0 विप0 संघ	5,059.62	
2,326,618.17	4. अंश आवेदन	1,589,483.17	
4,782.27	5. आगमित बिल संकलित खाता	4,782.27	
45,000.00	6. अवितरित ऋण अनुदान	45,000.00	
227,250.00	7. अर्नेस्ट मनी	242,250.00	
1,734.00	8. एल.आई.सी.–क्रेडिट	4,913.00	
282,889.70	9. कर्मचारी भविष्य निधि	234,721.70	
4,596.75	10. प्रत्याभूति बन्ध पत्र	4,596.75	
5,599.00	11. ग्रुप इन्श्योरेश खाता	4,914.00	
52,651.40	12. जीवन बीमा	74,432.40	
158.00	13. ए0पी0सी0 दवा	158.00	
216.00	14. एनआईए–क्रेडिट	36.00	
52.80	14. सूखाग्रस्त क्षेत्रों को खाद्यान्न वित0अग्रिम	52.80	
2,256,888.47	15. डी0डी0 पेयेबुल खाता	4,501,486.27	
696,000.00	16. आई.सी.डी.पी. शहडोल से अनुदान प्राप्त	-	
148,677.68	17. सर्विस टैक्स	-	
68,105.00	18. टी.डी.एस.	6,528,180.00	

राशि	विवरण सम्पत्तियां लेनदारी	राशि	राशि (रू.)
834,600.00	14. एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम	834,600.00	
3,390.00	15. एलआईसी–कमीशन	7,749.00	
2,500,000.00	16 आयकर अग्रिम भुगतान	1,000,000.00	
1,311,398.00	17. एन.ई.एफ.टी नेफ्ट		
-	18. एम.पी.ई.व्ही. सिक्योटी	20,451.00	
28,140.00	**नान बैंकिंग ऐसेस्टस**	28,140.00	28,140.00
-	**संचित हानि**	-	-
-	गत वर्ष की संचित हानि	-	
-	लाभ हानि पत्रक से आय (+)	-	
3,738,332,131.35	**योग**		**3,995,214,803.86**

Sd/-
प्रभारी प्रबन्धक (लेखा)

Sd/-
मुख्य कार्यपालन अधिकारी

Sd/-
प्राधिकृत अधिकारी

For - L.K. maheshwari & Co.
Chartered Accountant
Sd/-
(Amit Chitwar)
FRN-000780C, 407118

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित शहडोल (म0प्र0)

हानि–लाभ पत्रक 2016–2017

31.3.2016 राशि (रू.)		क0 विवरण हानि	राशि	31.3.2017 राशि (रू.)
154,602,376.48		**1. ब्याज दिया**		**201,220,266.67**
120,383,432.96		''अ'' ब्याज दिया अमानतो पर	144,744,085.97	
		1,382,843,267.56		
	(–)	1,238,099,181.59		
34,218,943.52		''ब'' ब्याज दिया ऋणो पर	56,476,180.70	
		56476180.70		
	(–)	-		
		-		
43,202,311.66		**2. स्थापना व्यय**		**54,461,202.37**
33,095,175.00		1. वेतन उपवेतन भविष्य निधि योगदान	**35,447,395.98**	
		35,699,523.98		
	(–)	252,128.00		
-		3. कर्मचारी ग्रेच्युटी प्रीमियम भुगतान	**5,000,000.00**	
		5,000,000.00		
117,410.00		4. कर्मचारी यात्रा भत्ता	**75,499.00**	
		77,435.00		
	(–)	1,936.00		
249,785.46		5. डाकतार टेलीफोन व्यय	**256,029.77**	
		278,675.90		
	(–)	22,646.13		
195,624.00		6. प्रिंटिग एवं स्टेशनरी व्यय	**279,273.75**	
		326,750.25		
		47,476.50		
67,000.00		7. विधि सलाहकार व्यय	**470,600.00**	
		503,451.00		
		32,851.00		
3,471,363.00		8. किराया कर बीमा प्रकाश व्यय	**3,655,035.00**	
		3,660,081.00		
	(–)	5,046.00		
		10. अन्य व्यय		

राशि (रू.)	विवरण पूँजी एवं दायित्व		राशि (रू.)
2,115,651.00	19. अंकेक्षण शुल्क देय	3,099,816.00	
100.00	20. सेल कलेक्शन बीज	100.00	
2,955,605.75	21. ओ.डी. नेफ्ट	668,548.79	
338.00	22. म0प्र0 राज्य कृषि विप0 बोर्ड	338.00	
4,129,782.75	23. पूल फण्ड	4,129,782.75	
1,047,804.13	24. काम के बदले अनाज योजना	1,047,804.13	
743,279.91	25. सूखा प्रभावित कृषको को अनुदान	743,279.91	
808,047.56	26. धान खरीदी सकंलन	808,047.56	
45,833.48	27. कृषि प्रोत्साहन	45,833.48	
121,890.03	28. मध्यान्ह भोजन चावल कमीशन	121,890.03	
246,842.00	29. ऋण माफी/राहत राशि	246,842.00	
18,931,085.90	30. कैश क्रेडिट/अल्पावधि क्रेडिट बैलेन्स	39,177,671.16	
102,617.00	31. बचत बैंक बीमा गारन्टी योजना	132,146.50	
	32. टी.डी.एस. प्राप्ति योग्य	160,438.00	
	33. नेफट इनवर्ड मैसेज खाता	753,382.25	
	34. कर्मचारी कल्याण कोष	60,852.00	
	35. रिस्क फण्ड	253,689.31	
113,413,571.25	**10. संचित लाभ खाता**	114,595,879.90	114,595,879.90
	113,413,571.25		
	2,284,652.65		
	1,102,344.00		
3,738,332,131.35	योग		**3,995,214,803.86**

Sd/- प्रभारी प्रबन्धक (लेखा)   Sd/- मुख्य कार्यपालन अधिकारी   Sd/- प्राधिकृत अधिकारी

For - L.K. maheshwari & Co.
Chartered Accountant
Sd/-
(Amit Chitwar)
FRN-000780C, 407118

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित शहडोल (म0प्र0)
हानि–लाभ पत्रक 2016–2017

31.3.2016 राशि (रू.)		क0 विवरण लाभ	राशि	31.3.2017 राशि (रू)
237,670,715.44		**1. ब्याज प्राप्त खाता**		**278,017,030.87**
137,412,408.96		''अ'' ब्याज प्राप्त ऋणों पर	144,817,540.00	
		466,313,456.59		
	(–)	321,495,916.59		
100,258,306.48		''ब'' ब्याज प्राप्त विनियोगों पर	133,199,490.87	
		140,580,736.87		
	(–)	7,381,246.00		
1,115,211.64		**2. लाभांश प्राप्त अंशो पर**	2,424,811.22	**2,424,811.22**
		2,424,811.22		
1,192,484.16		**3. कमीशन एवं विनियम दलाली**	1,195,040.85	**1,195,040.85**
		6,568,916.73		
	(–)	5,373,875.88		
80,000.00		**4. लाकर्स किराया**	41,500.00	**41,500.00**
		41,500.00		
		-		
128,005.05		**5. अन्य आय**	832,550.35	**832,550.35**
		833,654.35		
	(–)	1,104.00		
1,116,388.38		**6. प्रवेश, प्रशा.,मूल्यां,नेफट, क्लोजर चार्ज**	818,411.00	**818,411.00**
		818,681.00		
		270.00		
241,302,804.67		योग		**283,329,344.29**

31.3.2016 राशि (रू.)		क0 विवरण हानि	राशि	31.3.2017 राशि (रू.)
25,438.06		'' अ'' प्रचार प्रसार एवं विज्ञापन	**24,508.47**	
		24,531.58		
		23.11		
408,088.81		''ब'' जीप डीजल मरम्मत व्यय	**561,991.96**	
		580,720.96		
	(–)	18,729.00		
1,660,890.35		''स'' विविध व्यय खाता	**2,034,287.44**	
		2,086,317.44		
	(–)	52,030.00		
200,000.00		''इ'' संघ चन्दा व्यय	-	
		-		
77,129.00		''फ'' डेड स्टाक मरम्मत	**170,842.00**	
		170,842.00		
	(–)	-		
481,369.00		''ग'' जीप किराया	**400,595.00**	
		403,558.00		
	(–)	2,963.00		
7,225.00		''ह''. भवन मरम्मत व्यय	**223,979.00**	
	(+)	223,979.00		
1,100,001.00		''ह''. कोर बैकिंग सॉफटवेयर फीस	**5,276,354.00**	
		5,287,395.00		
		11,041.00		
2,045,812.98		''ह''. कोर बैकिंग व्यय	**584,811.00**	
		584,811.00		
774,267.00		**3. अवक्षयण**		**353,584.00**
55,628.00		1. डेड स्टाक पर	**18,071.00**	
-		2. वाहन पर	-	
46,777.00		3. भवन पर	**42,100.00**	
630,748.00		4. कम्प्यूटर पर	**252,299.00**	
41,114.00		5. जमीन लीज	**41,114.00**	
353,753.00		**4. कैडर फण्ड अंशदान**	-	-
	(+)	-		
		-		
155,003.56		**5. समाशोधन शुल्क**	**162,781.60**	**162,781.60**
		162,781.60		
6,500,000.00		**6. ग्रेच्युटी प्रावधान**	-	-
10,000,000.00		**7. अन्य आस्तियों हेतु प्रावधान**	17,573,000.00	**17,573,000.00**
1,000,000.00		**8. मानक आस्तियों हेतु प्रावधान**	1,000,000.00	**1,000,000.00**
12,000,000.00		**9. संदिग्ध डूबन्त हेतु प्रावधान**	-	-
1,000,000.00		**10. अंकेक्षण शुल्क हेतु प्रावधान**	2,000,000.00	**2,000,000.00**
		2,000,000.00		
11,715,092.97		**11. लाभ खाता**	-	6,558,509.65
241,302,804.67		योग		**283,329,344.29**

आयकर राशि जमा वर्ष 2013–14	4,601,177.00
	327,320.00
	4,273,857.00
शुद्ध लाभ जो वित्तीय पत्रक में गया	**2,284,652.65**

Sd/- प्रभारी प्रबन्धक (लेखा)   Sd/- मुख्य कार्यपालन अधिकारी   Sd/- प्राधिकृत अधिकारी

For - L.K. maheshwari & Co.
Chartered Accountant
Sd/-
(Amit Chitwar)
FRN-000780C, 407118

सघन मिशन इंद्रधनुष में 101 प्रतिशत उपलब्धि के साथ इंदौर देश में द्वितीय

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री नड्डा ने समीक्षा में की मध्यप्रदेश के नवाचारों की सराहना

भोपाल। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा देश में 8अक्टूबर को आरंभ किये गए सघन मिशन इन्द्रधनुष के प्रथम एवं द्वितीय चरण में 101 प्रतिशत की उपलब्धि के साथ इंदौर (शहर) देश में द्वितीय स्थान पर रहा है। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने यह जानकारी राष्ट्रीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान दी। कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान श्री नड्डा 24 राज्यों के प्रमुख सचिव एवं संबंधित अधिकारियों से रू-ब-रू हुए और सघन मिशन इन्द्रधनुष की समीक्षा की। प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्रीमती गौरी सिंह ने मध्यप्रदेश में किये गए प्रयासों की जानकारी दी।

श्री नड्डा ने अक्टूबर और नवम्बर-2017 में मिशन के तहत मध्यप्रदेश की टीकाकरण छतरी, टीकाकरण कैप और स्वच्छता मिशन के वाहनों का सघन मिशन इन्द्रधनुष प्रचार के लिए उपयोग की सराहना की। उन्होंने सभी राज्यों से आँगनवाड़ी कार्यकर्ता, एनसीसी, एनएसएस, एनवायके का उपयोग सामाजिक जागरूकता के लिए बेहतर ढंग से करने के निर्देश दिये। उन्होंने राज्यों से कहा कि वे रोज राज्य एवं जिला-स्तर पर मॉनीटरिंग करने के साथ फीडबैक देते हुए उचित कार्यवाही सुनिश्चित करें।

मध्यप्रदेश की तर्ज पर अन्य राज्य भी देंगे पुरस्कार

प्रमुख सचिव श्रीमती गौरी सिंह ने केन्द्रीय मंत्री को बताया कि शत-प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित करने वाली पंचायतों को राज्य में 2 लाख रुपये का पुरस्कार देने का निर्णय लिया गया है। निर्णय की सराहना करते हुए श्री नड्डा ने अन्य राज्यों से भी इस योजना का अनुसरण करने के निर्देश दिए। श्रीमती सिंह ने बताया कि लक्ष्य की उपलब्धि के लिए आशा, आँगनवाड़ी कार्यकर्ता और एएनएम को प्रशिक्षण दिया गया है।

सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि वाले राज्य एवं जिले भी पुरस्कृत होंगे

श्री नड्डा ने कहा कि 4 चरणों में होने वाले इस अभियान की पूर्ति के बाद सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि वाले राज्य एवं जिले को भी पुरस्कृत किया जाएगा। यह पुरस्कार प्रधानमंत्री द्वारा नई दिल्ली में दिया जाएगा। सघन मिशन इन्द्रधनुष देश के 24 राज्यों के 201 जिलों और 18 शहरों में टीकाकरण से छूटे हुए बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के उद्देश्य से चार चरणों में संचालित किया जा रहा है। अभियान के दो चरण अक्टूबर और नवम्बर में पूर्ण हो चुके हैं। तृतीय चरण 7 से 18 दिसम्बर और चतुर्थ चरण 7 से 18 जनवरी-2018 तक होगा। अभियान में डिप्थीरिया, काली खाँसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा आदि के टीके लगाये जाएंगे। सघन मिशन इन्द्रधनुष में 2 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे और उन गर्भवती माताओं तक पहुँचने का लक्ष्य रखा गया है, जो टीकाकरण कार्यक्रम में यह सुविधा नहीं पा सके हैं।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान स्वास्थ्य विभाग के संचालक डॉ. बी.एन. चौहान, राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉ.ओ.पी.तिवारी, उप संचालक टीकाकरण श्री विपिन श्रीवास्तव, राज्य कोल्डचेन अधिकारी डॉ. अश्विन भागवत और समन्वयक डॉ. जतिन ठक्कर भी उपस्थित थे।

रंगीन मछली उत्पादन केन्द्र खरगोन

भोपाल। घर को सुंदर बनाने में गृहणियों की पहली पसंद फिश एक्वेरियम ही होता है। यह बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि फिश एक्वेरियम की रंगीन मछलियों के बीज भी फार्म में ही उत्पन्न होते है।

ऐसी ही करीब 30 प्रकार की रंगीन मछलियों की प्रजाति का उत्पादन केंद्र सरफराज खान ने मत्स्य विभाग के सहयोग से खरगोन के प्रेमनगर में वर्ष 2009 में शुरू किया। खरगोन के सरफराज खान के मछली पालन के शौक को पूरा करने का संघर्ष भी उतना ही रोचक है। वे स्कूल से सीधे खरगोन की ओंडल नदी पर सिर्फ मछलियों को दाना खिलाने जाया करते थे। कुछ समय के बाद खराब आर्थिक स्थिति के कारण सरफराज खान ने ठेला लेकर शहर के फुटपाथ पर मात्र 550 रूपए के 7 फिश पॉट से अपना रंगीन मछली फार्म का सपना पूरा करने का पहला कदम रखा।

वर्ष 2009 में सरफराज खान को मत्स्य विभाग की मत्स्य कृषक विकास अभिकरण योजना द्वारा 8लाख का लोन और 90 हजार रुपये का अनुदान स्वीकृत हुआ। इससे इन्होंने रंगीन मछलियों का बीज उत्पादन केंद्र बना लिया। खरगोन शहर के पास के गांव प्रेमनगर में एक एकड़ जमीन खरीदी और फार्म तैयार किया। इसके लिए कुआं खुदवाया और ट्यूबवेल पंप की व्यवस्था भी की। इसके बाद इन्हें विभाग द्वारा भुवनेश्वर की केंद्रीय फ्रेशवॉटर एक्वॉकल्चर संस्थान, मरीन प्रोडॅक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के कोच्ची केंद्र और नई दिल्ली में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया। इसके बाद सरफराज ने वो कर दिखाया जो प्रदेश में पहला उभरता रंगीन मछली बीज उत्पादन केंद्र बना गया।

पूरे मध्यप्रदेश में रंगीन मछली बीज उत्पादन के केवल 2 केंद्र है। उनमें से एक के मालिक सरफराज खान है जो प्रदेश में पहला है। सरफराज प्रदेश में 7 फेंचाइजी के सहयोगी हैं और खरगोन में इनका सुंदर-सा फिश हॉउस भी है। अब सरफराज खान प्रदेश में कार्यरत दो रंगीन मछली बीज उत्पादन केंद्र में एक के मालिक है।

प्रेमनगर में सरफराज के फार्म पर आज गोल्ड फीश, एंजल, चिचलेट, मौली, गप्टी और कार्प, कामन मार्प सहित प्लेटी प्रजाति की कई प्रकार की मछलियां है। इनकी एक-एक प्रजाति में 100-100 प्रकार की मछलियां होती है। उनको इस बात की ज्यादा खुशी है कि एक समय वो ओंडल नदी में मौली और गप्टी को दाना खिलाते थे। आज वो बैंकाक की कार्प, ब्रुडल और एंजल तथा एक दर्जन से अधिक रंगीन मछलियों को दाना देते है। सरफराज के फार्म की मछलियां अब मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता के बाजार की शान हैं। अब सरफराज शुद्ध रूप से प्रतिमाह 40 से 50 हजार की कमाई करने के साथ 5 लोगों को रोजगार भी उपलब्ध करवा रहे है।

(पृष्ठ 1 का शेष)

किसानों को हर संभव मदद .....

खसरे एवं बी-1 की नकल राजस्व अमले द्वारा घर-घर जाकर किसानों को नि:शुल्क वितरित की जाएगी। उन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों के लिए संचालित योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि का पट्टा देकर मालिकाना हक दिया जाएगा। ऐसे पट्टेधारियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास निर्माण भी करवाए जाएंगे। जिले में 15 हजार आवासों का निर्माण किया गया है। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि ग्रामीणों की बिजली बिल की समस्या के निदान के लिए बिजली पंचायत एवं शिविर आयोजित किये जाएं।

समारोह में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री रुस्तम सिंह, सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री विश्वास सारंग, सांसद श्री प्रभात झा, मछुआ कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री राजू बाथम, विधायक सर्वश्री प्रहलाद भारती, गोपीलाल जाटव, घनश्याम पिरौनिया, नारायण सिंह कुशवाह, किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक श्री रणवीर सिंह रावत सहित बड़ी संख्या में किसान उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने गांवों में पहुंचकर सुनी ग्रामीणों की समस्याएँ

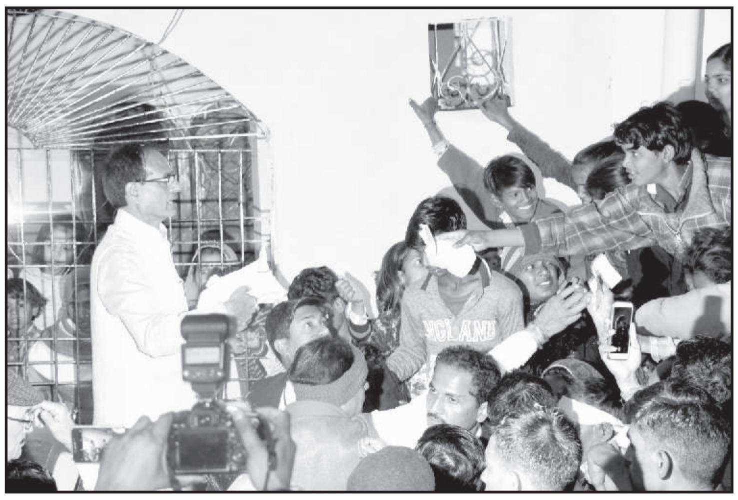

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने शिवपुरी जिले के ग्राम बूढ़ाडोगर, कुल्हाड़ी एवं चितारा में पहुंचकर ग्रामीणों की कुशलक्षेम पूछी और उनकी समस्याओं को सुना।

मुख्यमंत्री ने ग्राम कुल्हाड़ी में ग्रामीणों से कहा कि मैं स्वयं गांव-गांव जाकर आप लोगों के हाल-चाल जानने आया हूं। उन्होंने ग्रामीणों से भावांतर भुगतान योजना, अविवादित नामांतरण, बंटवारा एवं सीमांकन के प्रकरणों के निराकरण की जानकारी ली। साथ ही, किसानों को नि:शुल्क बी-1 एवं खसरे की नकल देने की जानकारी भी दी।

मुख्यमंत्री श्री चौहान को ग्रामीणों ने पेयजल की समस्या से अवगत कराया। उन्होंने इसके तत्कालिक और दीर्घकालिक समाधान हेतु गांव की नलजल योजना गहरे ट्यूबवेल के माध्यम से शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने गांव में एक तालाब बनाने तथा सिंध नदी पर स्टापडेम बनाने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभांवित करतार सिंह एवं देवेन्द्र सिंह यादव के आवास का निरीक्षण किया। इस दौरान ग्राम पंचायत के सरपंच श्री लालाराम यादव ने बताया कि ग्राम पंचायत में 190 प्रधानमंत्री आवास बनाए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री के ग्रामीण क्षेत्रों के भ्रमण के दौरान लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री रूस्तम सिंह, स्थानीय जन-प्रतिनिधि और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने एनीमिया उन्मूलन के लिये लालिमा रथों को रवाना किया

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री निवास से लालिमा रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रथ एनिमिया बाहुल्य ग्रामों में लालिमा योजना का सघन प्रचार-प्रसार करेंगे और जागरुकता लायेंगे। लालिमा योजना प्रदेश में किशोरी बालिकाओं और महिलाओं में एनिमिया उन्मूलन के लिये क्रियान्वित की जा रही है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस अवसर पर कहा कि अधिक से अधिक बालिकाओं और महिलाओं को लालिमा अभियान का लाभ दिलाया जाये। इस अभियान में समाज सहयोग भी प्राप्त किया जाये। इस अवसर पर बताया गया कि लालिमा रथ प्रत्येक संभाग के एनिमिया बाहुल्य ग्रामों में भ्रमण करेंगे। जिन स्थानों पर रथ रुकेगा, वहां स्वास्थ्य जांच शिविर भी आयोजित किये जायेंगे। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस और प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास श्री जे.एन. कंसोटिया भी उपस्थित थे।

केवल अत्याधुनिक सुविधाओं और संसाधनयुक्त गोदामों में होगा उपार्जित स्कंधों का भण्डारण

वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कार्पोरेशन द्वारा दिशा-निर्देश जारी

भोपाल। प्रदेश में वर्ष 2018-19 में उपार्जित स्कंध के भण्डारण के लिए संयुक्त भागीदारी योजना में आवश्यकता अनुसार निजी और सहकारी क्षेत्र के केवल अत्याधुनिक सुविधाओं और संसाधन वाले गोदामों को ही प्राथमिकता दी जाएगी। उपार्जित स्कंध की भण्डारण व्यवस्था के लिए एम.पी. वेअरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कार्पोरेशन को नोडल भण्डरण एजेन्सी नियुक्त किया गया है।

वेअरहाउसिंग कार्पोरेशन द्वारा अत्याधुनिक सुविधाओं और संसधानों के संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किये गये है। भण्डारण के लिये गोदाम उपलब्ध कराने के इच्छुक गोदाम संचालकों से कहा गया है कि गोदामों का वेअरहाउसिंग लायसेंस प्राप्त करें और जिनके लायसेंस की वैधता मार्च 2018से पहले समाप्त हो रही हैं, वे नवीनीकरण करवायें। मार्च 2019 तक वैध गोदाम संचालक अपने गोदाम का योजना के तहत ऑनलाईन ऑफर कर सकेंगे।

उपार्जित स्कंध के शत-प्रतिशत तौल हेतु गोदाम स्तर पर मानक स्तर का इलेक्ट्रॉनिक वेब्रिज चालू हालत में होना अनिवार्य है, जिसकी प्रिंट मेमोरी को एम.पी.डब्ल्यू.एल.सी. के साफ्टवेयर से इंटीग्रेट करना होगा। वेब्रिज उक्त गोदाम पर नहीं होने की स्थिति में अधिकतम 500 मीटर की दूरी पर वेब्रिज होना अनिवार्य रहेगा, अन्यथा गोदाम नहीं लिया जायेगा। इसके साथ एप्रोच रोड एवं गोदाम परिसर में रोड कम से कम बी.एम.डब्लू स्तर की होना चाहिए। योजना के तहत प्रत्येक गोदाम परिसर के कार्यालय कक्ष में कम्प्यूटर सिस्टम इंटरनेट सुविधा मय कम्प्यूटर ऑपरेटर के साथ उपलब्ध होना अनिवार्य है।

विपणन वर्ष 2018-19 में उपार्जित होने वाले गेहूँ एवं धान के फ्यूमीगेशन हेतु एम.पी.डब्ल्यू.एल.सी. द्वारा निन्शुल्क एल्युमीनियम फास्फाईड उपलब्ध कराई जायेगी। स्कंध का फ्यूमीगेशन गोदाम संचालक द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले मानक स्तर के फ्यूमीगेशन कव्हर, सेण्ड स्नेक एवं कर्मियों के सहयोग से कराया जायेगा। उपार्जित स्कंध के भण्डारण पश्चात अन्य कीटोपचार यथा डी.डी.व्ही.पी., मैलाथियन, डेल्टामेथिलिन आदि का छिड़काव संबंधित गोदाम संचालक को स्थानीय स्तर पर मानक स्तर की कीटनाशक औषधि क्रय कर स्वत: कीटोपचार एवं रख-रखाव सुनिश्चित करना होगा। योजना के तहत सुरक्षा व्यवस्था हेतु गोदामों पर पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा कर्मी उपलब्ध कराना होंगे।

वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन द्वारा बताया गया है कि जिन निजी गोदामों पर शासन द्वारा खरीदी केन्द्र स्थापित होंगे, वहाँ गोदाम संचालक द्वारा गोदाम परिसर में तुलाई, भराई, पैकिंग तथा वाहन पार्किंग के लिए पर्याप्त खाली स्थान न्यूनतम रकबा 25000 वर्गफुट होना चाहिए। साथ ही गोदाम परिसर में पीने के पानी, शौचालय, प्रकाश आदि की व्यवस्था होने पर जिला स्तरीय उपार्जन समिति द्वारा खरीदी केन्द्र खोला जा सकेगा। इसके लिए शासन द्वारा निर्धारित प्रावधानों के तहत एक प्रतिशत कमीशन का भी भुगतान किया जायेगा। अनुबंधित क्षमता में जमा होने वाले उपार्जित स्कंध के 50 रूपये प्रति मीट्रिक टन की दर से बैंक सालवेंसी एम.पी.डब्ल्यू.एल.सी. को त्रिपक्षीय अनुबंध निष्पादन के समय गोदाम संचालक उपलब्ध कराएगा। बैंक साल्वेंसी उसी बैंक की प्रस्तुत करनी होगी, जिस बैंक से गोदाम संचालक द्वारा उक्त गोदाम के निर्माण हेतु ऋण लिया गया है।

संयुक्त भागीदारी योजना के अनुबंध निष्पादन से पूर्व अनुबंधित क्षमता की राशि 20 हजार रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से काम्प्रीहेंसिव बीमा कराना होगा। साथ ही 20 हजार प्रति मे.टन की राशि शतप्रतिशत फेडेलिटी बीमा पॉलिसी गोदाम संचालक द्वारा क्रय की जायेगी। कार्पोरेशन द्वारा बताया गया कि आगामी सीजन में उपार्जित स्कंध के भण्डारण के लिए गोदाम की आवश्यकता लगभग 2-3 माह पश्चात होगी। ऐसे में जो गोदाम संचालक अपने गोदाम शासन को संयुक्त भागीदारी योजना में देना चाहते हैं वे समय रहते अपने गोदामों में निर्धारित की गई सुविधा एवं संसाधन अनिवार्य रूप से करना सुनिश्चित करें।

पी.जी.डी.सी.ए. मात्र 9100/-
डी.सी.ए. मात्र 8100/-
न्यूनतम योग्यता पी.जी.डी.सी.ए. स्नातक एवं डी.सी.ए.-बारहवीं (10+2)
मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ द्वारा संचालित
सहकारी कम्प्यूटर एवं प्रबंध
प्रशिक्षण केन्द्र, भोपाल
(माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से सम्बद्ध)
ई-8/77 शाहपुरा, त्रिलंगा, भोपाल (म.प्र.) पिनकोड-462 039
फोन.-0755 2725518, 2726160 फेक्स-0755 2726160
Email: rajyasanghbpl@yahoo.co.in,ccmtcbpl@rediffmail.com

श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान
हर माह, 9 तारीख

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान

हर महीने की 9 तारीख़ को गर्भवती माँ को दिलाएं अहसास कि वो है सबसे ख़ास

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अंतर्गत –

- नि:शुल्क जांच और उपचार के लिये गर्भवती महिला को 9 तारीख को शासकीय अस्पताल लेकर आये।
- यह सुविधा सभी शासकीय जिला चिकित्सालय, सिविल अस्पताल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर नि:शुल्क उपलब्ध है।
- इस दिन शासकीय एवं निजी डॉक्टरों द्वारा गर्भवती महिलाओं की नि:शुल्क चिकित्सकीय एवं प्रयोगशाला जांच की जाती है।
- जांच में ख़तरे के लक्षण पाये जाने पर महिला को तत्काल उचित इलाज दिया जाता है।

ख़तरे के लक्षण :

मध्यप्रदेश जनसम्पर्क द्वारा जारी

आकल्पन : मध्यप्रदेश माध्यम/2017

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मध्यप्रदेश शासन द्वारा जनहित में जारी

D-82390/2017

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक दिनेशचंद्र शर्मा द्वारा सांध्य प्रकाश लि.'सांध्यप्रकाश भवन' मालवीय नगर, भोपाल से मुद्रित एवं ई-8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : दिनेशचंद्र शर्मा
डाक पंजीयन क्रमांक - म.प्र./भोपाल/357/2015-17 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2725518, फैक्स : 0755-2726160 इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।